JCI

भापनि

५४वां वार्षिक रिपोर्ट

54th ANNUAL REPORT

2024-25

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED

Employees of the Corporation donating blood in observance of 'World Blood Donor Day'

CACP meeting for formulation of price policy for Raw Jute for the C.Y. 2026-27

A workshop on 'Rashtriya Karmayogi' being held at the JCI Head Office at Patsan Bhawan

Inauguration of the 'Motivation Room' at the JCI Head Office at Patsan Bhawan

Free Health Check-up Camp being organized for Safai Mitras at the JCI Head Office at Patsan Bhawan

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पटसन भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, सीएफ ब्लॉक,
एक्शन एरिया-1, न्यू टाउन, कोलकाता – 700 156

54वीं वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

1.	दृष्टि एवं मिशन	2
2.	निदेशक मंडल	3
3.	सूचना	5
4.	प्रबंध निदेशक के कक्ष से	6
5.	निदेशक प्रतिवेदन	11
6.	पाँच वर्षों की कार्य निष्पादन प्रवृत्ति	38
7.	क्षेत्रीय कार्यालय	41
8.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	42
9.	लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	39
10.	तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरण, तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा का भाग बनने वाली लेखा टिप्पणियाँ	61
11.	व्यापार लेखे :	
	i आंतरिक कच्चा पटसन – मूल्य समर्थन	89
	ii आंतरिक कच्चा पटसन – वाणिज्यिक	90
	iii पटसन बीज	91
	iv विविधीकृत पटसन उत्पाद	91

विजन

कच्चे पटसन क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना, विशेष रूप से कृषकों के हितों को बढ़ावा देना तथा व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा करना और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, साथ ही विविधीकृत पटसन व्यापार गतिविधियों के विकास पर विशेष ध्यान देना, जो पर्यावरण के अनुकूल हों तथा आत्मनिर्भरता और सतत लाभप्रदता के द्वैध उद्देश्यों पर आधारित हों।

मिशन

- देश के पटसन/मेस्टा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए भारत सरकार की नीति का क्रियान्वयन करना।
- कच्चे पटसन क्षेत्र में मूल्य स्थिरीकरण अभिकरण के रूप में कार्य करना तथा इस संबंध में आवश्यक उपाय करना।
- विभिन्न पटसन संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विविध विस्तारात्मक उपायों को अपनाना।

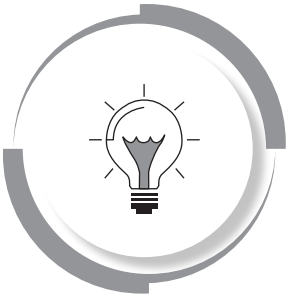

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पटसन भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, सीएफ ब्लॉक,

एक्शन एरिया-1, न्यू टाउन, कोलकाता – 700 156

निदेशक मंडल

1.	श्री शशि भूषण सिंह	:	सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड; प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (05.06.2025)
2.	सुश्री पद्मिनी सिंगला	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (19.05.2025)
3.	श्री पूर्णेश गुरुरानी	:	निदेशक (रेशा), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (22.06.2023)
4.	श्री कौशिक रक्षित	:	निदेशक (वित्त) (17.04.2025)
5.	श्री ए. के. जॉली	:	प्रबंध निदेशक (01.02.2019–31.05.2025)
6.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (16.07.2024–19.05.2025)
7.	श्री गौरव कुमार	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (08.12.2020–16.07.2024)

लेखापरीक्षा समिति

1.	श्री पूर्णेश गुरुरानी	:	निदेशक (रेशा), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (22.06.2023) – अध्यक्ष
2.	सुश्री पद्मिनी सिंगला	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (19.05.2025) – सदस्य
3.	श्री शशि भूषण सिंह	:	सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड; प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (05.06.2025) – सदस्य
4.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (16.07.2024–19.05.2025)
5.	श्री गौरव कुमार	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (08.12.2020–16.07.2024)
6.	श्री ए. के. जॉली	:	प्रबंध निदेशक (01.02.2019–31.05.2025)

सीएसआर समिति

1.	सुश्री पद्मिनी सिंगला	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (19.05.2025) – अध्यक्षा
2.	श्री शशि भूषण सिंह	:	सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड; प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (05.06.2025) – सदस्य
3.	श्री पूर्णेश गुरुरानी	:	निदेशक (रेशा), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (22.06.2023) – सदस्य
4.	श्री कौशिक रक्षित	:	निदेशक (वित्त) (17.04.2025) – सदस्य
5.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (16.07.2024–19.05.2025)
6.	श्री ए. के. जॉली		प्रबंध निदेशक (01.02.2019–31.05.2025)
7.	श्री गौरव कुमार		आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली; सरकार नामित निदेशक (08.12.2020–16.07.2024)

श्री ए. साहा	:	कंपनी सचिव (03.08.2016)

लेखा परीक्षक	:	जे. के. वी. एस. एंड कंपनी, एडकॉन्स कोर्ट, 7/1बी, हाजरा रोड, द्वितीय तल, कोलकाता – 700026

पंजीकृत कार्यालय	:	पटसन भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, सीएफ ब्लॉक, एक्शन एरिया-1, न्यू टाउन, कोलकाता – 700156; वेबसाइट : www.jutecorp.in; ई-मेल : jci@jcimail.in

श्री शशि भूषण सिंह
प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

सुश्री पद्मिनी सिंगला
संयुक्त सचिव,
वस्त्र मंत्रालय
सरकार नामित निदेशक

श्री पूर्णेश गुरुरानी
निदेशक (रेशा),
वस्त्र मंत्रालय
सरकार नामित निदेशक

श्री कौशिक रक्षित
निदेशक
(वित्त)

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पटसन भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, सीएफ ब्लॉक, एक्शन एरिया-1, न्यू टाउन, कोलकाता – 700 156

संख्या: जेसीआई/54वीं वार्षिक सामान्य सभा/सचिवालय/2025-26 दिनांक: 22.12.2025

54वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

इस द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की चौवनवीं वार्षिक सामान्य सभा मंगलवार, 23 दिसंबर, 2025 को दोपहर 12.30 बजे निगम के पंजीकृत कार्यालय पटसन भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, एक्शन एरिया-1, न्यू टाउन, कोलकाता – 700156 में दृश्य सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाएंगे:

साधारण कार्य:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षकों और निदेशकों के प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकृत करना।
2. विधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को संज्ञान में लेना तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

इस संबंध में, यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में, संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के, पारित किया जाए:

"यह प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार मेसर्स जे. के. वी. एस. एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए निगम के विधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत निगम के निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक, प्रत्यक्ष व्यय, विधिक करों तथा अन्य सहायक व्ययों का निर्धारण करें।"

3. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति अंश 340.91 रुपये का लाभांश घोषित करना।

निदेशक मंडल के आदेश से

(अविक साहा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
पटसन भवन, न्यू टाउन,
कोलकाता – 700 156

टिप्पणी :

चौवनवीं वार्षिक सामान्य सभा में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला कोई भी सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है (धारा 105)। प्रतिनिधि का निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिनिधि का प्रपत्र उपयोग किया जाए, तो उसे विधिवत पूर्ण कर वार्षिक सामान्य सभा के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व निगम को वापस भेज दिया जाना चाहिए।

प्रबंध निदेशक के कक्ष से

प्रिय सदस्यों,

मैं आप सभी का भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की 54वीं वार्षिक सामान्य सभा में स्वागत करते हुए अपनी बात प्रारम्भ करता हूँ। मेरे लिए यह वास्तव में गर्व का विषय है कि मैं आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपके निगम के कार्य निष्पादन की प्रमुख उपलब्धियाँ, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन तथा परीक्षित लेखे, और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वित्तीय परिणाम :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपके निगम ने 5681.85 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। यह मुख्यत: पिछले वर्ष के संचित भंडार की निकासी के कारण हुए अधिक कारोबार तथा समीक्षाधीन वर्ष से संबंधित बिक्री के परिणामस्वरूप संभव हुआ।

बाजार परिदृश्य

फसल वर्ष 2024-25 की शुरुआत कच्चे पटसन आपूर्ति श्रृंखला में वर्ष 2023-24 से स्थानांतरित 34.50 लाख गांठों के भंडार के साथ हुई। पटसन विषयक विशेषज्ञ समिति के अनुमानों के आधार पर देश में कच्चे पटसन के कुल उत्पादन का पूर्वानुमान 73 लाख गांठ (प्रत्येक 180 किलोग्राम) था। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में 285 रुपये की वृद्धि की गई (5335 रुपये – 5050 रुपये)। अंतिम अनुमान के अनुसार उत्पादन 73 लाख गांठ रहा, जबकि वर्ष 2023-24 में अंतिम अनुमानित उत्पादन 90 लाख गांठ था।

बांग्लादेश से आयात लगभग 5.00 लाख गांठ अनुमानित था। इसमें से वास्तविक मिल उपभोग 65 लाख गांठ रहा, जबकि प्रारम्भिक अनुमानित मिल उपभोग 70 लाख गांठ था। घरेलू उपभोग का अंतिम अनुमान 14 लाख गांठ रहा, जबकि प्रारम्भिक अनुमान 12 लाख गांठ था। इसके अतिरिक्त लगभग 2.00 लाख गांठ निर्यात का भी अनुमान था। फसल वर्ष 2025-26 के लिए अग्रेषित भंडार 31.50 लाख गांठ है।

फसल वर्ष की शुरुआत में फसल का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे रहा, किन्तु वर्ष के शेष भाग में मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक बने रहे। परिणामस्वरूप इस फसल वर्ष के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लगभग 4.17 लाख क्विंटल की खरीद की गई।

फसल वर्ष 2025-26 में कम उत्पादन के कारण बाजार मूल्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक बने रहने की संभावना है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन

भारत सरकार ने फसल वर्ष 2024-25 के लिए समस्त भारत स्तर पर प्रति क्विंटल टीडी-3 (टीडी-5 के स्थान पर) के लिए 5335 रुपये को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में घोषित किया। यह स्तर फसल वर्ष 2023-24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 285 रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर कच्चे पटसन की विभिन्न किस्मों और श्रेणियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

31 मार्च, 2025 को वार्षिक लेखों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन की वित्तीय स्थिति का संक्षेप इस प्रकार है:

खरीद मात्रा (क्विंटल में)	खरीद मूल्य (रुपये लाख में)
5,17,941	25,913.41

वाणिज्यिक संचालन :

31 मार्च, 2025 को वार्षिक लेखों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए वाणिज्यिक संचालन की वित्तीय स्थिति का संक्षेप निम्नलिखित है:-

खरीद मात्रा (क्विंटल में)	खरीद मूल्य (रुपये लाख में)
शून्य	0.00

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व :

आपका निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों का निर्वहन करता है, क्योंकि यह उन शर्तों को पूरा करता है जिनके अंतर्गत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों का अनिवार्य रूप से संचालन किया जाना आवश्यक है। अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करते समय आपका निगम समय-समय पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में आपके निगम ने एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना निम्नलिखित थी:

1. श्री अजय कुमार जॉली, प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
2. श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, सरकार नामित निदेशक – सदस्य
3. श्री पूर्णेश गुरुरानी, सरकार नामित निदेशक – सदस्य

क्रम संख्या	संगठन का नाम	सहायता / उद्देश्य	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)
1.	नेवी फाउंडेशन, कोलकाता अध्याय	8वाँ एडीएम आधार कुमार चटर्जी स्मृति व्याख्यान	.50
2.	सु-समन्वय, पश्चिम बंगाल	अनाथ आवासीय शैक्षिक केंद्र के लिए एक वर्ष का शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सहायता अनुदान	3.00
3.	आरजव, पश्चिम बंगाल	थैलेसीमिया जागरूकता तथा परीक्षण आदि के लिए अनुदान	3.00
4.	रेड क्रॉस सोसाइटी, पश्चिम बंगाल राज्य शाखा	रोगियों के लिए एम्बुलेंस	8.00
5.	रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर	विंगर एफएल एम्बुलेंस 3488 शैल 10+पीए डीजल वाहन के लिए अनुदान	10.00
6.	भारत थैलेसीमिया सोसाइटी	आयरन केलेटर्स (डेसिफर 400 टैबलेट, केल्फर 500 कैप्सूल) आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों की सहायता हेतु	4.00

7.	बेहाला बलानंद ब्रह्मचारी अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र	5 मल्टीपैरा मॉनिटर तथा 1 रोगी मॉनिटर स्टेशन, ईटीसीओ2 क्षमता सहित रोगियों की सतत निगरानी के लिए	4.00
8.	केंद्रीय सैनिक बोर्ड	सशस्त्र बल ध्वज निधि	2.16
9.	साफल्य	सहायता अनुदान	6.5
		कुल	**41.16**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपके निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 41.16 लाख रुपये की राशि व्यय करना अनिवार्य था। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा उसके पश्चात निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत निर्धारित बजट के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियाँ निम्नलिखित थीं।

आपका निगम 31.03.2025 तक 41.16 लाख रुपये के कुल बजट में से 34.66 लाख रुपये की राशि व्यय करने में सक्षम रहा। शेष 6.50 लाख रुपये की राशि भी इस सूचना के समय तक वितरित कर दी गई है।

निगमित प्रशासन

आपका निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित प्रशासन की उच्च मानकों वाली व्यवस्थाओं को बनाए रखने का निरंतर प्रयास करता है। लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निगमित प्रशासन से संबंधित नवीनतम दिशा-निर्देशों तथा अन्य संबद्ध पहलुओं पर सतर्कतापूर्वक निगरानी रखी जाती है और उनका पालन किया जाता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर होने वाली श्रेणीकरण प्रणाली में आपके निगम को "उत्कृष्ट" श्रेणी प्राप्त होती रही है।

निगमित प्रशासन के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन निदेशक प्रतिवेदन में दिया गया है।

आपका निगम अपने कार्य संचालन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के मानकों को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। अतीत में आपके निगम के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, जिसने निगमित प्रशासन की प्रथाओं के महत्व को अधिक व्यावसायिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण से समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की तथा निर्णय प्रक्रिया में अधिक वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित की। वर्तमान में निगम के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तथापि इस विषय को प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है और आशा है कि निकट भविष्य में निगम के निदेशक मंडल में नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होगी।

मानव संसाधन प्रबंधन

आपके निगम का मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों के अधिगम और विकास की आवश्यकता तथा उसके महत्व को भली-भांति पहचानता है। मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों को बदलते समय के अनुरूप बनाने तथा उन्हें अपने-अपने व्यवसायिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने और उनके अनुरूप ढलने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने हेतु सर्वोत्तम उपलब्ध शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं की निरंतर खोज में लगा रहता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विभाग कार्यबल की आवश्यकताओं और उनकी प्रोफ़ाइल के अनुसार प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाता है तथा ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, जिससे कर्मचारी उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन सर्वाधिक दक्षता के साथ कर सकें। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भी कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किए गए:

- ✓ निवारक सतर्कता एवं सुशासन
- ✓ डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम 2023 एवं गोपनीयता अनुपालन कर्मी
- ✓ सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना प्रबंधन
- ✓ श्रम कानूनों के अंतर्गत अनुपालन, प्रथाएँ एवं चुनौतियाँ
- ✓ निवारक सतर्कता एवं सुशासन
- ✓ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- ✓ अंतरराष्ट्रीय अध्ययन भ्रमण / कार्यपालक विकास कार्यक्रम
- ✓ कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण
- ✓ कार्य निष्पादन प्रबंधन पर कार्यशाला
- ✓ जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों पर आभासी कार्यशाला
- ✓ निवारक सतर्कता, ई-क्रय तथा सुशासन के प्रमुख उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान आपके निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

आगे की दिशा

यह संतोषजनक है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के अंतर्गत कम खरीद होने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में कर पश्चात लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह पिछले वर्ष के संचित भंडार की निकासी से प्राप्त अधिक कारोबार तथा समीक्षाधीन वर्ष से संबंधित बिक्री के कारण संभव हुआ है।

जैसा कि पूर्व में भी अवगत कराया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन सदैव आपके निगम का प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा है। तथापि बदलते समय के साथ कदम मिलाने और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए आपके निगम ने भारत सरकार सहित अपने सभी हितधारकों की अधिक प्रभावी सेवा के उद्देश्य से अपनी गतिविधियों में विविधीकरण का प्रयास किया है।

मेरे पिछले संप्रेषण में दी गई जानकारी के अनुसार आपके निगम ने कच्चे पटसन आपूर्ति श्रृंखला में ब्लॉक शृंखला प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन की परियोजना प्रारंभ की है। यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि यह परियोजना वर्तमान में क्रियान्वयन के अंतिम चरण में है और शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। कच्चे पटसन के व्यापार के लिए ई-नीलामी मंच उपलब्ध कराने की परियोजना भी सुचारु रूप से प्रगति कर रही है।

आपके निगम ने किसानों द्वारा प्रस्तुत कच्चे पटसन की गुणवत्ता/श्रेणी का अधिक वस्तुनिष्ठ आकलन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रत्यक्ष क्रय केंद्रों हेतु पोर्टेबल श्रेणी निर्धारण उपकरणों की खरीद की है। निगम की योजना है कि कच्चे पटसन के मूल्यांकन की पुरानी हस्त एवं दृष्टि आधारित पद्धति को धीरे-धीरे समाप्त किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान को उसके द्वारा प्रस्तुत कच्चे पटसन का उचित मूल्य प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त आपका निगम परीक्षण आधार पर अपने कटवा प्रत्यक्ष क्रय केंद्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम पटसन श्रेणी निर्धारण प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जिससे प्रस्तुत कच्चे पटसन की गुणवत्ता/श्रेणी का आकलन किया जा सके।

आपके निगम ने पटसन विविध उत्पादों की बिक्री के लिए अपने ई-वाणिज्य मंच को अधिक व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से उसका पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है तथा इस दिशा में आवश्यक कदम पहले ही प्रारंभ किए जा चुके हैं।

वैकल्पिक व्यवसाय के नए अवसरों की खोज के प्रयास में आपका निगम भारत की कालीन राजधानी भदोही, उत्तर प्रदेश में कालीन तथा कालीन निर्माण के कच्चे माल के वितरण के लिए एक विक्रय केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त आपका निगम केरल के कुछ आपूर्तिकर्ताओं के साथ पटसन आधारित कालीनों के लिए थोक कच्चे माल की आपूर्ति हेतु समझौता भी कर चुका है।

आपके निगम ने वाराणसी स्थित पूज्य काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पटसन कालीनों की आपूर्ति भी प्रारंभ कर दी है। ये कालीन वर्तमान में मंदिर परिसर में उपयोग किए जा रहे नारियल रेशा आधारित कालीनों का स्थान लेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि पशु आहार को बाँधने के लिए प्रयुक्त विशेष रूप से निर्मित महीन पटसन जाल "इकोनेट" की आपूर्ति के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। आपके निगम ने इसका एक खेप सफलतापूर्वक न्यूज़ीलैंड को आपूर्ति की है। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएँ हैं और आपका निगम निकट भविष्य में इन अवसरों का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रमाणित पटसन बीजों के वाणिज्यिक वितरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

आपका निगम राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की प्रतिष्ठित पटसन समेकित कृषि सुदृढ़ीकरण परियोजना के क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है, जो वर्तमान में अपने ग्यारहवें चरण में है। वर्तमान में इस परियोजना का विस्तार पटसन खेती की संभावनाओं वाले नए क्षेत्रों जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड तथा दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों तक किया जा रहा है, ताकि निर्यात के लिए पटसन विविध उत्पादों के निर्माण हेतु उच्च गुणवत्ता वाले पटसन रेशा की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

अंततः आपका निगम औद्योगिक स्तर की पटसन गांठ दबाने वाली मशीन के अभिकल्पन की प्रक्रिया में है, जिससे पटसन क्षेत्र को महत्वपूर्ण सहायता मिलने की अपेक्षा है।

आभार :

अंत में, मैं इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय, पटसन आयुक्त कार्यालय, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड तथा पटसन से संबंधित अन्य सभी संस्थाओं के अधिकारियों के प्रति वर्षों से प्राप्त उनके निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

(शशि भूषण सिंह)

प्रबंध निदेशक

निदेशकों की प्रतिवेदन रिपोर्ट वर्ष 2024–25 के लिए

प्रिय अंशधारकों,

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि मुझे आप सभी का स्वागत करने तथा निगम के कार्य निष्पादन पर 54वीं वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षणित खातों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा रही है।

समीक्षा अवधि के दौरान आपके निगम के कार्य संचालन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है—

1. भारत में कच्चे जूट की मांग–आपूर्ति स्थिति

फसल वर्ष 2024–25 की शुरुआत कच्चे जूट की आपूर्ति शृंखला में वर्ष 2023–24 से शेष रहे 34.50 लाख गांठों के साथ हुई। जूट विषयक विशेषज्ञ समिति के अनुमानों के अनुसार देश में कच्चे जूट का कुल उत्पादन 73 लाख गांठ (प्रत्येक 180 किलोग्राम) होने का पूर्वानुमान लगाया गया था।

भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में 285 रुपये की वृद्धि की गई, जो 5050 रुपये से बढ़ाकर 5335 रुपये कर दिया गया। अंतिम अनुमान के अनुसार उत्पादन 73 लाख गांठ रहा, जबकि वर्ष 2023–24 में उत्पादन का अंतिम अनुमान 90 लाख गांठ था।

बांग्लादेश से लगभग 5.00 लाख गांठ आयात होने का अनुमान था। इसमें से वास्तविक मिल उपभोग 65 लाख गांठ रहा, जबकि प्रारम्भिक अनुमान 70 लाख गांठ का था। घरेलू उपभोग का अंतिम अनुमान 14 लाख गांठ रहा, जबकि प्रारम्भिक अनुमान 12 लाख गांठ का था। इसके अतिरिक्त लगभग 2.00 लाख गांठ के निर्यात का भी अनुमान था।

फसल वर्ष 2025–26 के लिए आगे ले जाई जाने वाली मात्रा 31.50 लाख गांठ आंकी गई। फसल वर्ष की शुरुआत में फसल का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे रहा, किन्तु वर्ष के शेष भाग में मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बने रहे। इसके परिणामस्वरूप संबंधित फसल वर्ष के दौरान जूट निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लगभग 4.17 लाख क्विंटल की खरीद की गई।

फसल वर्ष 2025–26 के दौरान कम उत्पादन के कारण बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक बने रहने की संभावना है।

2. कार्य संचालन की समीक्षा

2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन

भारत सरकार ने फसल वर्ष 2024–25 के लिए समस्त भारत स्तर पर प्रति क्विंटल 5335 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। यह मूल्य फसल वर्ष 2023–24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 285 रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। इसके पश्चात जूट आयुक्त के कार्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर कच्चे जूट की विभिन्न किस्मों और श्रेणियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया।

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन की वित्तीय स्थिति का सारांश वार्षिक खातों के अनुसार निम्न प्रकार है—

क्रय मात्रा (क्विंटल में)	क्रय मूल्य (लाख रुपये में)
5,17,941	25,913.41

2.2 वाणिज्यिक संचालन:

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष 2024–25 के लिए वाणिज्यिक संचालन की वित्तीय स्थिति का सारांश, वार्षिक खातों के अनुसार, निम्नानुसार है—

क्रय मात्रा (क्विंटल में)	क्रय मूल्य (लाख रुपये में)
शून्य	0.00

3. वित्तीय समीक्षा

3.1 समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान आपके निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के अंतर्गत लगभग 5.18 लाख क्विंटल कच्चे जूट की खरीद की।

3.2 वर्ष 2024–25 के दौरान आपके निगम का कुल कारोबार 64757.56 लाख रुपये रहा। संचालन परिणाम के अनुसार सभी प्रशासनिक व्यय, किराया, बीमा, ब्याज, मूल्यह्रास तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ के प्रावधान को समायोजित करने के बाद 5681.85 लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष के अंत में तुलन पत्र के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष खाते की शेष राशि 22061.36 लाख रुपये है।

3.3 कर उपरांत लाभ 5681.85 लाख रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष कर उपरांत लाभ 4611.68 लाख रुपये था।

3.4 वर्ष 2024–25 के लिए प्रति अंश आय (प्रति अंश अंकित मूल्य 100 रुपये) 1136 रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष यह 922 रुपये थी।

3.5 आपके निगम के पास आवश्यक अवसंरचना तथा कार्यशील पूंजी की सीमा उपलब्ध है, जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये से अधिक के कच्चे जूट के कारोबार को प्राप्त करने की क्षमता है।

3.6 वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश 1704.55 लाख रुपये है, जबकि पिछले वर्ष यह 1383.50 लाख रुपये था।

समीक्षाधीन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश परिशिष्ट–'क' में प्रस्तुत किया गया है।

4. निगम के न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के लिए अवसंरचना बनाए रखने हेतु अनुदान

भारत सरकार आपके निगम को अवसंरचना के रखरखाव तथा स्थायी प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करती है, ताकि जब भी आवश्यकता उत्पन्न हो, आपका निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन करने के लिए सदैव तैयार रहे।

इस प्रतिवेदन के पूर्व संस्करणों में भी यह सूचित किया गया था कि भारत सरकार ने आपके निगम को वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि के लिए 245.87 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन हेतु अवसंरचना के रखरखाव के लिए आपके निगम को 31.13 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की।

5. जूट विविधीकृत उत्पादों के विपणन हेतु वाणिज्यिक गतिविधियाँ

आपका निगम तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में लड्डू प्रसाद ले जाने के लिए जूट के थैले उपलब्ध करा रहा है। इन थैलों की आपूर्ति स्थानीय

विक्रेताओं, महिला उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूहों से की जाती है, जिससे उन्हें नियमित और सुनिश्चित व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता है।

विद्युत वाणिज्य मंच का आधार गुवाहाटी स्थानांतरित कर दिया गया है और वर्तमान में इसे अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने तथा सुव्यवस्थित रूप से उपयोग करने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है।

जैसा कि पूर्व संचारों में बताया गया था, आपके निगम ने तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में प्रारम्भिक कदम उठाए हैं, जिनमें जूट भू-वस्त्र भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं को चारा परोसने के लिए उपयोग में आने वाला विशेष प्रकार का जालीदार कपड़ा भी विकसित किया गया है और इसके कुछ कंटेनर न्यूज़ीलैंड भेजे गए हैं। यह संभावना है कि इससे एक नया व्यापारिक क्षेत्र विकसित होगा।

6. सामाजिक लागत–लाभ विश्लेषण

आपका निगम कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन करने हेतु भारत सरकार की प्रमुख कार्यान्वयन संस्था है। पिछले 54 वर्षों से यह संस्था छोटे और सीमांत जूट किसानों के हित में निरंतर अपने दायित्वों का निर्वहन करती आ रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कच्चे जूट के बाजार मूल्य पूरे वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास एक सीमित दायरे में बने रहे। इस कारण किसानों के हित में आपके निगम को बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा। परिणामस्वरूप आपके निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के अंतर्गत बड़े पैमाने पर खरीद की, जो पिछले दो दशकों में सर्वाधिक खरीद रही और इससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ प्राप्त हुआ।

वस्त्र मंत्रालय की प्रतिष्ठित जूट संवर्धित खेती तथा उन्नत गलन योजना के कार्यान्वयन के लिए आपके निगम ने प्रमाणित जूट बीज 50 प्रतिशत रियायती दर पर वितरित किए, जिनमें अधिक उपज देने वाली नई किस्में भी शामिल हैं।

यह योजना वर्तमान में लगातार नौवें वर्ष में संचालित हो रही है। इसके अंतर्गत आपके निगम द्वारा अनेक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, जिन्हें राष्ट्रीय जूट बोर्ड के संरक्षण में क्रियान्वित किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य कच्चे जूट के उत्पादन की लागत को कम करना, उत्पादकता बढ़ाना तथा रेशे की गुणवत्ता में सुधार लाना है, ताकि किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके और मूल्य संवर्धन संभव हो।

इस परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को रियायती दर पर प्रमाणित जूट बीज उपलब्ध कराना, जागरूकता शिविर आयोजित करना, कृषि संबंधी परामर्श जारी करना तथा उन्नत कृषि उपकरणों जैसे बीज बोने की मशीन, चक्र निराई यंत्र और गलन प्रक्रिया को तेज करने वाले पदार्थों का निःशुल्क वितरण करना शामिल है।

परियोजना में सम्मिलित उन्नत कृषि पद्धतियों में बीज बोने की मशीन द्वारा पंक्ति में बुआई, जूट की फसल में खरपतवार प्रबंधन के लिए यांत्रिक निराई यंत्र और चक्र निराई यंत्र का उपयोग तथा गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित जूट बीजों का वितरण शामिल है।

इस परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत जूट उत्पादकों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है :

i. अत्यधिक अंकुरण दर तथा अधिक उत्पादकता वाले 100 प्रतिशत प्रमाणित जूट बीज उपलब्ध कराना।

ii. किसानों के खेतों पर भविष्य में अपनाने के लिए वैज्ञानिक जूट खेती पद्धति का प्रदर्शन करना, जिसमें बीज बोने की मशीन, नाखून निराई यंत्र अथवा चक्र निराई यंत्र जैसे यांत्रिक साधनों का उपयोग शामिल है।

iii. गलन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा गलन की अवधि को कम करने के लिए तीन प्रकार के गलन प्रवर्धकों का प्रदर्शन अथवा वितरण करना।

यह परियोजना वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध रूप में संचालित की जा रही है।

वर्ष 2024–25 के दौरान इस योजना के दसवें चरण के अंतर्गत की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है :

क्रम संख्या	विवरण	गतिविधि
1	जूट उगाने वाले क्षेत्र तथा राज्य	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड और नागालैंड के 289 क्षेत्र
2	आच्छादित भूमि	23174.05 हेक्टेयर
3	शामिल किसानों की संख्या	72283
4	प्रमाणित जूट बीज की आपूर्ति सीओ 58, जेबीओ 2003 एच, जेआरओ 204, जेआरओएम 1, जेबीओ 1, जेआरसी 532 किस्में	554.80 मीट्रिक टन
5	बीज बोने की मशीन या जूट बीज बोने की मशीन	1200
6	नाखून निराई यंत्र या चक्र निराई यंत्र	1200
7	गलन प्रवर्धक वितरण सीआरआईजेएएफ सोना पाउडर तथा निनफेट साथी	800
8	बुआई, निराई तथा गलन का प्रदर्शन	8483

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जूट निगम तथा राष्ट्रीय जूट बोर्ड के मध्य समझौता ज्ञापन

पिछली वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट में सूचित किया गया था कि आपके निगम ने राष्ट्रीय जूट बोर्ड के साथ मिलकर जूट क्षेत्र तथा उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया था। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उपग्रह तथा भू-स्थानिक आंकड़ों की सहायता से जूट फसल की स्थिति तथा उत्पादन के अनुमान का लगभग वास्तविक समय में आकलन करना है, जिससे मूल्य स्थिरता तथा किसानों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।

यह व्यवस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति अत्यंत प्रभावी ढंग से कर रही है तथा फसल की स्थिति के आकलन के लिए एक उपयोगी साधन सिद्ध हो रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अब तक 43364 आंकड़ों का संकलन किया जा चुका है।

7. प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण

क) उद्योग की संरचना तथा विकास

जूट निगम द्वारा संचालित न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन कच्चे जूट के बाजार तथा जूट उद्योग की आधारशिला है। जूट निगम कच्चे जूट के मूल्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक गिरावट के किसी भी संकेत पर जूट उत्पादकों को समर्थन प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थिति में बड़े पैमाने पर खरीद को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु अतिरिक्त गोदाम भी किराये पर लिए गए। उपरोक्त के अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन को किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी संचालित किया गया, ताकि अधिकतम संख्या में जूट किसानों तक पहुंचा जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मध्यम स्तर के फसल उत्पादन के कारण कच्चे जूट के बाजार मूल्य पूरे वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास बने रहे। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए आपके निगम ने पूरे वर्ष मध्यम स्तर का न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन किया और लगभग 5.05 लाख क्विंटल कच्चे जूट की खरीद की। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कोई वाणिज्यिक संचालन नहीं किया गया।

ख) अवसर तथा जोखिम / चिंताएँ

- **अवसर**
  - एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद जूट से बने थैलों के उपयोग की संभावनाएँ काफी बढ़ गई हैं।
  - तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में पर्यावरण अनुकूल जूट थैलों के उपयोग के प्रति जनसामान्य में बढ़ती जागरूकता के कारण निगम के कारोबार में वृद्धि की संभावना बनी है।
  - पशुओं के चारे के लिए उपयोग में आने वाले एक नए प्रकार के जालीदार कपड़े का विकास किया गया है और इसके दो कंटेनर न्यूज़ीलैंड भेजे जा चुके हैं, जिससे एक बिल्कुल नया व्यापारिक क्षेत्र विकसित हो रहा है।
  - पारंपरिक न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन को विस्तार देने के लिए जूट निगम सहकारी संस्थाओं को अपने प्रतिनिधि के रूप में खरीद कार्य में शामिल कर रहा है, जिससे खरीद की मात्रा और कारोबार दोनों में वृद्धि हो रही है।
  - जूट विविधीकृत उत्पादों का वितरण निगम के लिए एक व्यवहार्य व्यापारिक गतिविधि के रूप में उभर कर सामने आया है।
  - आपका निगम प्रमाणित जूट बीजों के वाणिज्यिक वितरण का कार्य भी सफलतापूर्वक कर रहा है।

- **जोखिम / चिंताएँ / चुनौतियाँ**
  - नियमानुसार जूट निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के अंतर्गत सभी श्रेणियों के कच्चे जूट, जिनमें निम्न श्रेणी का जूट भी शामिल है, की खरीद करनी होती है। परंतु जब इनका निस्तारण किया जाता है तो मिलें निम्न श्रेणी के जूट को लेने में अनिच्छा व्यक्त करती हैं, यह कहते हुए कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार इससे बी टविल थैले नहीं बनाए जा सकते। उच्च श्रेणी का जूट प्रायः निगम के पास नहीं आता क्योंकि उसके लिए बाजार मूल्य प्रायः न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहता है।
  - कुछ नए कर्मचारियों की नियुक्ति के बावजूद कुशल मानव संसाधन की भारी कमी बनी हुई है। नए कर्मचारियों को आवश्यक दक्षता प्राप्त करने में कुछ मौसम लग जाते हैं। हाल के वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन की मात्रा बहुत अधिक रही है और आगे भी इसी प्रकार की स्थिति की संभावना है, इसलिए बड़े पैमाने पर खरीद संचालन के लिए दक्षता का स्तर एक चुनौती बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के कारण प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है।
  - गोदामों को बनाए रखना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है क्योंकि उनके स्वामी किराये के लिए वर्तमान बाजार दरों की मांग कर रहे हैं।
  - उद्योग द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित पाँच श्रेणी प्रणाली को अपनाने में उदासीनता दिखाई जा रही है और वर्तमान आठ श्रेणी प्रणाली को ही जारी रखा जा रहा है।

ग) भविष्य की रूपरेखा

- आपका निगम किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रस्तुत किए जाने वाले सभी कच्चे जूट की खरीद और भंडारण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा चुका है।
- संचालन को अधिक सुव्यवस्थित और तीव्र बनाने के लिए निगम द्वारा विभिन्न डिजिटल साधनों को अपनाया जा रहा है। सभी

क्रय केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों में ब्रॉडबैंड संपर्क तथा आधारभूत सूचना प्रौद्योगिकी संरचना को नवीनीकृत किया जा रहा है। अधिकांश क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। किसानों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन प्रणाली लागू की जा रही है। आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय व्यवस्था, शृंखला आधारित अभिलेख तकनीक तथा इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली को भी अपनाया जाएगा।

- सभी दूरस्थ केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के रूप में निगरानी कैमरा तथा जैविक पहचान आधारित उपस्थिति प्रणाली स्थापित की जा रही है।
- सभी क्रय केंद्रों के लिए नए डिजिटल आर्द्रता मापक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं तथा पोर्टेबल डिजिटल श्रेणी निर्धारण मशीनें भी लागू की जा रही हैं।
- केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नमूना यंत्र के आधार पर विद्युत चालित जल दाब संचालित गांठ दबाने वाली मशीनें भी भविष्य में स्थापित की जाएंगी।
- क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित विषय को भी निगम की व्यापक मानव संसाधन योजना के अनुसार संबोधित किया जा रहा है।
- निगम उत्कृष्टता की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखेगा तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अपने व्यवसाय के विस्तार के नए मार्ग खोजता रहेगा।

घ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी पर्याप्तता

आपके निगम ने संसाधनों के कुशल उपयोग, लागत नियंत्रण, वैधानिक आवश्यकताओं के पालन तथा वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ और व्यापक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की है। लेखा परीक्षण समिति आंतरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों और निगम के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करती है तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देती है।

ङ) संचालन प्रदर्शन के संदर्भ में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

समीक्षााधीन वर्ष के दौरान वित्तीय प्रदर्शन के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :

- न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद वर्ष के दौरान 25931.41 लाख रुपये की रही, जबकि पिछले वर्ष यह 59745.70 लाख रुपये थी।
- वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद वर्ष के दौरान शून्य रही, जैसा कि पिछले वर्ष भी था।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदे गए कच्चे जूट की बिक्री, दावों के समायोजन से पूर्व, वर्ष के दौरान 58881.03 लाख रुपये की रही, जबकि पिछले वर्ष यह 55694.75 लाख रुपये थी।
- पूर्व वर्षों में वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत खरीदे गए कच्चे जूट की बिक्री वर्ष के दौरान 869.01 लाख रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष यह शून्य थी।

- समीक्षााधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आपके निगम ने 5681.85 लाख रुपये का कर उपरांत लाभ अर्जित किया, जबकि

पिछले वर्ष यह 4611.68 लाख रुपये था। न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम खरीद होने के बावजूद कर उपरांत लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण पिछले वर्ष के संचित भंडार की बिक्री तथा समीक्षााधीन वर्ष से संबंधित बिक्री के कारण कुल कारोबार में वृद्धि होना है।

च) मानव संसाधन तथा औद्योगिक संबंध

आपका निगम अपने कर्मचारियों की दक्षता, कौशल तथा ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की संस्कृति में विश्वास करता है, ताकि वे उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें तथा अधिक सक्षम और संसाधनयुक्त बन सकें। प्रशिक्षण तथा विकास की प्रक्रिया कर्मचारियों को भविष्य की भूमिकाओं के लिए भी तैयार करती है। इसी उद्देश्य से मानव संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण बने रहे।

छ) सावधानी संबंधी वक्तव्य

इस प्रतिवेदन के इस भाग में किए गए वक्तव्य भावी घटनाओं से संबंधित अनुमानों और अपेक्षाओं पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इनसे भिन्न हो सकते हैं। ऐसे प्रमुख कारकों में सरकार द्वारा निगम को दिए जाने वाले वित्तीय सहयोग में परिवर्तन, सरकारी नियमों में परिवर्तन, उद्योग में औद्योगिक संबंधों की स्थिति तथा अन्य कारक जैसे न्यायिक विवाद आदि शामिल हो सकते हैं।

8. निगम की सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ

आपका निगम कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों का निर्वहन करता है, क्योंकि यह उन शर्तों को पूरा करता है जिनके अंतर्गत इन गतिविधियों का संचालन अनिवार्य है। सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत गतिविधियों का चयन करते समय आपका निगम समय-समय पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

आपके निगम ने कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार एक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। 31.03.2025 को इस समिति की संरचना निम्नलिखित थी :

1. श्री अजय कुमार जोली, प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
2. श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, सरकार द्वारा नामित निदेशक – सदस्य
3. 3श्री पूर्णेश गुरुरानी, सरकार द्वारा नामित निदेशक – सदस्य

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार गणना के आधार पर आपके निगम को 41.16 लाख रुपये व्यय करना अनिवार्य था।

सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की अनुशंसा तथा निदेशक मंडल की स्वीकृति के पश्चात वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित बजट के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	संगठन का नाम	उद्देश्य / विवरण	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1.	नौसेना फाउंडेशन, कोलकाता शाखा	आठवाँ एडमिरल आधार कुमार चटर्जी स्मृति व्याख्यान	.50
2.	सु-समन्वय, पश्चिम बंगाल	अनाथ आवासीय शैक्षणिक केंद्र के लिए एक वर्ष की शिक्षा और स्वास्थ्य सहायता	3.00
3.	आरजव, पश्चिम बंगाल	थैलेसीमिया जागरूकता और परीक्षण आदि	3.00
4.	रेड क्रॉस सोसाइटी, पश्चिम बंगाल राज्य शाखा	रोगियों के लिए एम्बुलेंस	8.00
5.	रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर	डीजल चालित एम्बुलेंस वाहन के लिए अनुदान	10.00
6.	थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ इंडिया	आयरन चेलेटर्स दवाएँ (मौखिक आयरन चेलेटर्स का उपयोग थैलेसीमिया में शरीर में अधिक आयरन की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है) 1. डेसिफर 400 (टैबलेट) 2. केल्फर 500 (कैप्सूल) आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय रोगियों को	4.00
7.	बेहाला बालानंद ब्रह्मचारी अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र	5 बहु-पैरामीटर मॉनिटर तथा 1 रोगी मॉनिटर स्टेशन, जो ईटीसीओ2 क्षमता से सुसज्जित है, जिससे रोगियों की निरंतर निगरानी की जा सके।	4.00
8.	केंद्रीय सैनिक बोर्ड	सशस्त्र सेना ध्वज निधि	2.16
9.	साफल्य	सामाजिक सहायता गतिविधियाँ	6.5
		कुल	**41.16**

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट–'ग' में दिया गया है।

9. निगमीय शासन

क) वर्ष 1971 में आपके निगम को कंपनियों से संबंधित अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक निजी सीमित सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कच्चे जूट के बाजार मूल्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे नीचे आने की स्थिति में जूट उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान करना था। वस्त्र मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के लिए अवसंरचना के रखरखाव में किया जाता है, ताकि उसका अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आपका निगम सरकारी अनुदान के उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखते हुए उसके बेहतर उपयोग के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है।

ख) 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल – आपके निगम के अनुच्छेदों के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

निदेशक मंडल की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या	कुल बोर्ड बैठकें	अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
1.	श्री अजय कुमार जोली (DIN: 08427305) (from 01.02.2019-31.05.2025)	प्रबंध निदेशक	4	4	4	हाँ
2.	श्री गौरव कुमार (DIN: 02819625) (from 08.12.2020-16.07.2024)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	1	0	-
3.	श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा (DIN : 05117895 (from: 16.07.2024-19.05.2025)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	3	1	-
4.	श्री पूर्णेश गुरुरानी (DIN: 10277956) (from 22.06.2023)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4	4	हाँ
निदेशक मंडल की बैठकों की तिथियाँ: 28.06.2024, 24.09.2024, 13.12.2024 तथा 21.03.2025						

ग) लेखा परीक्षण समिति (31.03.2025 की स्थिति के अनुसार) आपके निगम की लेखा परीक्षण समिति का गठन वर्ष 2001 में कंपनियों से संबंधित अधिनियम की धारा 292ए तथा उससे संबंधित नियमों के अनुसार सुशासन की सर्वोत्तम परंपराओं का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। लेखा परीक्षण समिति की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति दो सदस्यों की होती है।

समिति की संरचना निम्नलिखित है :

4. श्री पूर्णेश गुरुरानी, सरकार द्वारा नामित निदेशक – अध्यक्ष
5. श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, सरकार द्वारा नामित निदेशक – सदस्य
6. श्री अजय कुमार जोली, प्रबंध निदेशक – सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षण समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं।

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

समिति के कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

क) समय-समय पर कंपनी के वित्तीय विवरणों तथा अन्य प्रतिवेदनों की समीक्षा करना।

ख) प्रबंधन तथा लेखा परीक्षकों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और प्रतिवेदनों की समीक्षा करना, उन्हें निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व, विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देते हुए :

i) लेखांकन नीतियों तथा प्रक्रियाओं में किसी भी परिवर्तन की समीक्षा।

ii) लेखा परीक्षण से उत्पन्न किसी भी आपत्ति तथा महत्वपूर्ण समायोजन की समीक्षा।

iii) संस्था के निरंतर संचालन की धारणा का परीक्षण।

iv) लेखांकन मानकों के पालन की समीक्षा।

v) प्रबंधन या उनके परिजनों से संबंधित महत्वपूर्ण लेन-देन की समीक्षा।

vi) लेखा परीक्षण शुल्क निर्धारण के लिए निदेशक मंडल को अनुशंसा करना।

vii) लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए भुगतान की स्वीकृति देना।

viii) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन के साथ समीक्षा करना कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षण प्रासंगिक कानूनों, नियमों तथा कंपनी की नीतियों के अनुरूप हों, तथा उन्हें स्वीकृति के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जा सके।

ix) आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

x) निगम के किसी भी कर्मचारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना।

xi) आवश्यकता पड़ने पर बाहरी विधिक अथवा अन्य विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना।

xii) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता को सुदृढ़ कर हितों के टकराव को कम करना।

xiii) आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।

xiv) आंतरिक लेखा परीक्षण या बाहरी लेखा परीक्षकों को अनियमितताओं की सूचना देने वाले कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

xv) वित्तीय स्थिति तथा संचालन परिणामों से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण की समीक्षा करना।

xvi) प्रबंधन तथा लेखा परीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षण व्यवस्था, प्रतिवेदन संरचना, कार्यक्षेत्र तथा आंतरिक लेखा परीक्षण की आवृत्ति की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

xvii) कंपनी की वित्तीय तथा अन्य प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप में संदर्भित अन्य विषयों पर विचार करना अथवा संगठन के हित में आवश्यक समझे जाने वाले अन्य मामलों पर भी कार्य करना।

लेखा परीक्षण समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	कुल लेखा परीक्षण समिति बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा (from 16.07.2024-19.05.2025)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	3	1
2.	श्री गौरव कुमार (from 08.12.2020-16.07.2024)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	1	0
3.	श्री अजय कुमार जोली (from 01.02.2019-31.05.2025)	प्रबंध निदेशक	4	4	4
4.	श्री पूर्णेश गुरुरानी (from 22.06.2023)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4	4
लेखा परीक्षण समिति की बैठकों की तिथियाँ : 28.06.2024, 24.09.2024, 13.12.2024 तथा 28.03.2025					

घ) साधारण सभा की बैठकें :

		2021–22 (51वीं वार्षिक आम सभा)	2022–23 (52वीं वार्षिक आम सभा)	2023–24 (53वीं वार्षिक आम सभा)
1.	तिथि	25.11.2022	23.11.2023	13.12.2024
2.	समय	3.00 अपराह्न	5.00 अपराह्न	1.00 अपराह्न
3.	स्थान	निगम का पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता 700087, वीडियो माध्यम से	निगम का पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता 700087, वीडियो माध्यम से	निगम का पंजीकृत कार्यालय, पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक, एक्शन एरिया 1, न्यू टाउन, कोलकाता 700156

ङ) प्रकटीकरण

i. कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013, लेखांकन मानक प्रथाओं तथा अन्य लागू अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

iii. कर्मचारी नियमों या विनियमों के उल्लंघन की सूचना अपने पर्यवेक्षक, मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं।

iv. दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का यथासंभव तथा जहाँ तक लागू हो, पालन किया गया है।

v. केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति निर्देशों का पालन किया गया है।

vi. लेखा पुस्तकों में ऐसा कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से संबंधित न हो।

vii. कोई व्यक्तिगत व्यय नहीं किया गया है। केवल बैठकों के संबंध में निदेशकों के लिए आवास आदि से संबंधित व्यय ही किया गया है।

viii. अन्य जानकारी :

क) निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षण समिति की बैठकें और प्रक्रिया

कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम संख्या के अनुसार प्रत्येक वर्ष निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षण समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। सामान्यतः निदेशक मंडल के समक्ष निम्नलिखित विषय प्रस्तुत किए जाते हैं :

a) कार्यवृत्त की पुष्टि।

b) अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा।

c) कच्चे जूट के विपणन संबंधी प्रतिवेदन।

d) जूट बीज वितरण संबंधी प्रतिवेदन।

e) विधिक मामलों की जानकारी।

f) सतर्कता संबंधी प्रतिवेदन।

g) वैधानिक अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन।

h) वार्षिक लेखे।

i) लेखा परीक्षक से संबंधित विषय।

ख) निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षण समिति की बैठकों का कार्यसूची निर्धारण निदेशक मंडल अथवा लेखा परीक्षण समिति की बैठकों की तिथि निर्धारित होने के बाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विभागाध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श करते हैं और कार्यसूची से संबंधित दस्तावेज तैयार करने के निर्देश देते हैं। ये दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर कंपनी सचिव को प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके पश्चात कार्यसूची दस्तावेज निदेशकों अथवा सदस्यों को भेजे जाते हैं। इसी प्रकार बैठक के प्रारूप कार्यवृत्त भी निदेशकों अथवा सदस्यों को उनके विचारार्थ भेजे जाते हैं।

ग) बैठक के बाद अनुवर्ती कार्य प्रणाली पिछली बैठक के प्रारूप कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा अगली बैठक में की जाती है।

घ) निदेशक मंडल तथा समिति की बैठकों में कार्यवृत्त का लेखन कंपनी सचिव प्रत्येक निदेशक मंडल अथवा समिति की बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करते हैं। अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद यह कार्यवृत्त सभी निदेशकों अथवा सदस्यों को भेजा जाता है। इसके बाद अगली बैठक में इसकी पुष्टि की जाती है और कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है।

ङ) त्रैमासिक प्रतिवेदन :

आपका निगम निगमीय शासन के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार वस्त्र मंत्रालय को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त एक समेकित प्रतिवेदन भी सार्वजनिक उपक्रम विभाग को भेजा जाता है।

च) निगमीय शासन के अंतर्गत निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता, जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी निवारण नीति तथा सूचना प्रदाता संरक्षण नीति का अंगीकरण

आपके निगम ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निगमीय शासन संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर आचरण संहिता, जोखिम प्रबंधन तथा धोखाधड़ी निवारण नीति और सूचना प्रदाता संरक्षण नीति तैयार की है, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किया गया है। इन नीतियों की प्रतिलिपि निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

10. लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशकों ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति अंश 340.91 रुपये (पिछले वर्ष 276.70 रुपये) की दर से लाभांश देने की अनुशंसा की है, जो कि अंशधारक अर्थात भारत सरकार को देय होगा। लाभांश के रूप में कुल भुगतान 1704.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1383.50 लाख रुपये) होगा। लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक आम सभा में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन रहेगा।

11. 54 वर्षों में वित्तीय प्रदर्शन का समग्र अवलोकन

स्थापना से लेकर वर्ष 2024–25 तक के 54 वर्षों की अवधि में आपके निगम के लाभ-हानि तथा अनुदान खाते के संदर्भ में वित्तीय प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–'ख' में दिया गया है।'.

12. निदेशकों की उत्तरदायित्व घोषणा

कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (ग) के अनुसार आपके निगम का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि;

i) वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा यदि किसी प्रकार का महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण लेखांकन नीतियों से संबंधित टिप्पणियों में पृथक रूप से दिया गया है।

ii) उन्होंने उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरंतरता के साथ लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और सावधानीपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च 2025 को कंपनी की स्थिति तथा उस अवधि के लाभ-हानि का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके।

iii) उन्होंने कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए आवश्यक और पर्याप्त सावधानी बरती है, जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान की जा सके।

iv) उन्होंने वार्षिक लेखों की तैयारी निरंतर संचालन के आधार पर की है।

v) कंपनी सूचीबद्ध न होने के कारण कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (ई), जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

निर्धारित करने से संबंधित है, इस पर लागू नहीं होती।

vi) उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ विकसित की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का पालन किया जाए तथा ऐसी व्यवस्थाएँ पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

13. लेखा परीक्षण संबंधी टिप्पणियाँ और खातों पर अवलोकन

कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत, संशोधित रूप में, समीक्षााधीन वर्ष के लिए निगम के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं।

14. मानव संसाधन प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंध

आपके निगम का मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों के सीखने और विकास की आवश्यकता तथा महत्त्व को भली-भाँति समझता है। मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रशिक्षण और अधिगम सुविधाओं की निरंतर खोज में रहता है, ताकि वे बदलते समय के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें तथा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने और उनके अनुरूप कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों की आवश्यकताओं और कार्य-प्रोफाइल के अनुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता का व्यवस्थित रूप से निर्धारण करता है तथा इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, ताकि कर्मचारी उन्हें सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन अत्यंत कुशल और प्रभावी ढंग से कर सकें। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कर्मचारियों को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया :

- मार्गदर्शन कार्यशाला
- उन्नत स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर छह घंटे की आभासी व्यावहारिक कार्यशाला
- निवारक सतर्कता और सुशासन
- डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़ा संरक्षण अधिनियम 2023 तथा गोपनीयता अनुपालन
- सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना प्रबंधन
- श्रम कानूनों के अंतर्गत अनुपालन, व्यवहार और चुनौतियाँ
- निवारक सतर्कता और सुशासन
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- अंतरराष्ट्रीय अध्ययन भ्रमण अथवा कार्यकारी विकास कार्यक्रम
- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण संबंधी प्रशिक्षण
- कार्य निष्पादन प्रबंधन पर कार्यशाला
- सृजनात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों पर आभासी कार्यशाला
- निवारक सतर्कता, इलेक्ट्रॉनिक क्रय प्रणाली तथा सुशासन के प्रमुख उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान आपके निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का आपके निगम में कठोरता से पालन किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किए गए हैं। मांगी गई जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाती है।

16. जनशक्ति

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार आपके निगम में 123 नियमित, 08 अस्थायी तथा 141 संविदा कर्मचारी कार्यरत थे।

17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार निगम में स्थायी कर्मचारियों के रूप में 15 अनुसूचित जाति, 04 अनुसूचित जनजाति तथा 31 अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी कार्यरत थे।

18. परिवार कल्याण

निगम ने परिवार कल्याण उपायों के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए।

19. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संबंधी सरकारी निर्देशों का पालन

आपके निगम में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण से संबंधित अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक समिति गठित की गई है। इस समिति में निगम के प्रधान कार्यालय के चार वरिष्ठ कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें से दो महिलाएँ हैं। वर्ष के दौरान इस समिति को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका विधिवत निपटान कर दिया गया।

20. दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए निगम द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण

आपके निगम को दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना आवंटित नहीं की गई है और इसके लिए कोई अलग बजट भी निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि दिव्यांग व्यक्तियों को यात्रा भत्ता सामान्य मामलों में दिए जाने वाले यात्रा भत्ते की तुलना में दुगुनी राशि के रूप में प्रदान किया जाता है।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार आपके निगम में नियमित पदों पर कार्यरत 09 दिव्यांग कर्मचारी इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं।

21. राजभाषा का प्रसार

आपका निगम गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सदैव सक्रिय रहा है।

प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को नियमित रूप से हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाता है। दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी पखवाड़ा तथा हिंदी दिवस मनाया जाता है। समीक्षााधीन वर्ष के दौरान हिंदी दिवस 16.09.2024 को मनाया गया तथा हिंदी पखवाड़ा 16 सितम्बर 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक आयोजित किया गया। इस अवधि में हिंदी से संबंधित विभिन्न

प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जिनमें कर्मचारियों और उनके परिवारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान निगम के सभी कार्यालयों में हिंदी से संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के विजेताओं तथा प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए, ताकि निगम के दैनिक कार्यों में हिंदी के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा निर्धारित नियमों के अनुसार इसकी जानकारी निदेशक मंडल की बैठकों में भी प्रस्तुत की जाती है।

22. सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28.10.2024 से 03.11.2024 तक मनाया गया। इस वर्ष का विषय था "राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति"। इस सप्ताह के दौरान निगम के प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय और क्षेत्रीय इकाइयों में कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा ली गई। प्रधान कार्यालय में यह प्रतिज्ञा जूट निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा दिलाई गई। कर्मचारियों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रतिज्ञा भी ली। सतर्कता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम सभा स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त परिचर्चा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वाद-विवाद, नारा लेखन, निबंध लेखन तथा सूचना पत्रक वितरण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। किसानों, ठेकेदारों तथा विक्रेताओं के बीच सतर्कता के महत्व को बढ़ाने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की गईं तथा पत्रिका और समाचार पत्रिका का वितरण भी किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतिम दिन सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री कृष्ण मोहन ने नैतिकता और सुशासन विषय पर व्याख्यान दिया।

23. निदेशक मंडल

श्री ए. के. जोली, प्रबंध निदेशक, 31.05.2025 को सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। वस्त्र मंत्रालय की पूर्व संयुक्त सचिव श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा की सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति 19.05.2025 से वापस ले ली गई तथा उसी तिथि से उनकी जगह श्रीमती पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव (रेशा), वस्त्र मंत्रालय को नामित किया गया। इसके अतिरिक्त वस्त्र मंत्रालय के पूर्व आर्थिक सलाहकार श्री गौरव कुमार की सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा 16.07.2024 से वापस ले ली गई।

आगे चलकर श्री कौशिक रक्षित ने 17.04.2025 से निगम में नए निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

24. वार्षिक प्रतिवेदन का सार

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरण का सार

वित्तीय वर्ष समाप्ति दिनांक 31.03.2025 के अनुसार

[कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनियों के प्रबंधन और प्रशासन नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I	पंजीकरण तथा अन्य विवरण	
i)	सीआईएन	U17232WB1971GOI027958
ii)	पंजीकरण तिथि	02/04/1971
iii)	कंपनी का नाम	भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	अंशों द्वारा सीमित कंपनी / संघ सरकार की कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, सातवीं मंजिल, कोलकाता 700087, दूरभाष 033 2252 7027 / 7028, फैक्स 91 33 2252 1771 / 7390
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार और हस्तांतरण अभिकर्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण नीचे दिया जाएगा :

क्रम संख्या	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार में प्रतिशत
1	जूट बीज, जूट तथा उससे संबंधित उत्पादों का व्यापार और वितरण		100 %

III. होल्डिंग, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण

क्रम संख्या	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन या जीएलएन	होल्डिंग / सहायक / संबद्ध	धारित अंश प्रतिशत	लागू धारा
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. अंशधारिता संरचना (कुल अंश पूंजी के प्रतिशत के रूप में अंश पूंजी का विवरण)

i) श्रेणी के अनुसार अंशधारिता :

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित अंश				वर्ष के अंत में धारित अंश				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति / हिंदू अविभाजित परिवार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) केंद्र सरकार	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
ग) राज्य सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप-योग (क) (1)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) अनिवासी भारतीय – व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य – व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप-योग (क)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1)+(A) (2)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
ख. सार्वजनिक अंशधारिता									
1. संस्थाएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) पारस्परिक निधियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केंद्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) उद्यम पूंजी निधियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) विदेशी संस्थागत निवेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झ) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप-योग (ख)(1)									
2. गैर-संस्थाएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख) व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) ऐसे व्यक्तिगत अंशधारक जिनकी नाममात्र अंश पूंजी 1 लाख रुपये तक है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ऐसे व्यक्तिगत अंशधारक जिनकी नाममात्र अंश पूंजी 1 लाख रुपये से अधिक है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप-योग (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक अंशधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संरक्षक द्वारा धारण किए गए अंश (वैश्विक जमा रसीद तथा अमेरिकी जमा रसीद हेतु)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (क + ख + ग)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य

(ii) प्रवर्तकों की अंशधारिता

क्रम संख्या	अंशधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में अंशधारिता (अंशों की संख्या)			वर्ष के अंत में अंशधारिता (अंशों की संख्या)			वर्ष के दौरान अंशधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी / बाधित अंशों का प्रतिशत	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी / बाधित अंशों का प्रतिशत	
1.	भारत के राष्ट्रपति	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य
	कुल	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन

क्रम संख्या		वर्ष की शुरुआत में अंशधारिता (अंशों की संख्या)		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता (अंशों की संख्या)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष की शुरुआत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की अंशधारिता में तिथि अनुसार वृद्धि / कमी (वृद्धि / कमी के कारण जैसे आवंटन, हस्तांतरण, बोनस, स्वेट इक्विटी आदि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(iv) शीर्ष दस अंशधारकों की अंशधारिता का पैटर्न

क्रम संख्या		वर्ष की शुरुआत में अंशधारिता (अंशों की संख्या)		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता (अंशों की संख्या)	
	भारत के राष्ट्रपति	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष की शुरुआत में	500000	100	500000	100
	वर्ष के दौरान तिथि अनुसार अंशधारिता में वृद्धि / कमी (वृद्धि या कमी के कारण जैसे आवंटन, हस्तांतरण, बोनस, स्वेट इक्विटी आदि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान पृथक्करण हुआ हो तो उस तिथि पर)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता

		वर्ष की शुरुआत में अंशधारिता (अंशों की संख्या)		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता (अंशों की संख्या)	
	प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	
	वर्ष की शुरुआत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान तिथि अनुसार अंशधारिता में वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन, हस्तांतरण, बोनस, स्वेट इक्विटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान पृथक्करण हुआ हो तो उस तिथि पर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. देयताएँ

कंपनी की देयताएँ, जिनमें ब्याज देय अथवा अर्जित किंतु भुगतान के लिए अभी देय नहीं है, शामिल हैं

(राशि लाख में)

	सुरक्षित ऋण (जमा को छोड़कर)	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल देयता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में देयता: i) मूलधन ii) देय किंतु अवैतनिक ब्याज iii) अर्जित किंतु देय नहीं ब्याज	Rs.12,881.36	-	-	Rs.12,881.36
कुल (i + ii + iii)	Rs.12,881.36			Rs.12,881.36
वित्तीय वर्ष के दौरान देयताओं में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	Rs.12,881.36	- -	- -	Rs.12,881.36
शुद्ध परिवर्तन	Rs.12,881.36			Rs.12,881.36
वित्तीय वर्ष के अंत में देयता: i) मूलधन ii) देय किंतु अवैतनिक ब्याज iii) अर्जित किंतु देय नहीं ब्याज	- - -	- - -	- - -	- -
कुल (i + ii + iii)	शून्य			शून्य

VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

आपका निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सरकारी कंपनी) है। निदेशकों (कार्यकारी और गैर-कार्यकारी) की नियुक्ति तथा उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

VII. दंड / दंडादेश / अपराधों का संयोजन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड / दंडादेश / संयोजन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (क्षेत्रीय निदेशक / राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण / न्यायालय)	यदि अपील की गई हो तो विवरण
क. कंपनी:					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंडादेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक:					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंडादेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ग. अन्य अधिकारी (दोषी होने की स्थिति में)					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंडादेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

25. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

जैसा कि अवगत कराया गया है, आपका निगम ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसके सभी कार्यालयों में प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी लाइटों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय इकाइयों तथा क्रय केंद्रों में सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था का भी उपयोग किया जा रहा है। निगम के सभी कार्यालयों में कार्य समय समाप्त होने के बाद सभी विद्युत उपकरणों को अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाता है। कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों की खरीद के समय उनकी ऊर्जा दक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आपका निगम विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी भवनों में ऊर्जा संरक्षण तथा उपयुक्त तापमान निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से पालन करता है।

26. वैधानिक लेखा परीक्षक

कोलकाता स्थित जे. के. वी. एस. को कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए आपके निगम का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

आपके निगम को कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का संधारण करने की आवश्यकता नहीं है।

27. आभार

आपके निदेशक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, जूट आयुक्त कार्यालय तथा राष्ट्रीय जूट बोर्ड के प्रति समय-समय पर प्रदान किए गए सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। निदेशक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, राज्य सरकारों, कृषि एवं सहकारिता विभागों, राज्य स्तरीय सहकारी संगठनों तथा जूट विकास निदेशालय से प्राप्त सहयोग के लिए भी कृतज्ञ हैं।

निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड तथा अन्य बैंकों के सहयोग और समर्थन के लिए भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षक एस. गुहा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैधानिक लेखा परीक्षक जे. के. वी. एस., कोलकाता, वाणिज्यिक लेखा परीक्षण के प्रधान निदेशक, कंपनियों के रजिस्ट्रार कार्यालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रति भी उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभारी हैं।

अंत में, निदेशक आपके निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा प्रदर्शित सहयोग और समर्पण के लिए अपनी सराहना अभिलेख में दर्ज करना चाहते हैं।

(शशि भूषण सिंह)

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके पक्ष में

दिनांक: 23.12.2025
स्थान: कोलकाता

परिशिष्ट – 'क'

वित्तीय परिणाम 2024–25

(राशि लाख में)

	मद आंतरिक कच्चा जूट		जूट बीज	विविधीकृत जूट उत्पाद	कुल
	न्यूनतम समर्थन	वाणिज्यिक			
INCOME					
बिक्री	58527.44	863.79	1100.29	308.9	60800.42
ब्याज	331.00	0.00	0.00	0.00	331.00
भारत सरकार से अनुदान	3112.50	0.00	0.00	0.00	3112.50
अन्य ऋण	461.29	0.00	52.35	0.00	513.64
आंतरिक कच्चे जूट में अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
समापन भंडार	3979.71	6696.37	287.66	68.63	11032.36
पूर्व अवधि समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**66411.94**	**7560.16**	**1440.30**	**377.53**	**75789.93**
व्यय					
प्रारंभिक भंडार	25089.50	6497.90	285.30	58.76	31931.46
क्रय	25913.41	0.00	1101.41	279.30	27294.12
व्यापारिक व्यय	3315.63	25.59	1.14	2.29	3344.65
गोदाम किराया एवं बीमा	547.61	84.99	3.69	0.82	637.11
आंतरिक कच्चे जूट में अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रशासनिक व्यय	4176.14	0.00	0.00	24.08	4200.22
विविध देनदारों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	50.69	50.69
पूर्व अवधि समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**59042.29**	**6608.48**	**1391.54**	**415.94**	**67458.25**
अधिशेष / घाटा (ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व)	**7369.65**	**951.68**	**48.76**	**-38.41**	**8331.68**
मूल्यह्रास					
ब्याज	247.38	0.00	0.00	0.00	247.38
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	37.52	0.00	0.00	0.00	37.52
आयकर प्रावधान	2072.30	278.37	14.26	-	2364.93
वर्ष का लाभ / हानि	5012.45	673.31	34.50	-38.41	5681.85
प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00	1704.55
प्रस्तावित लाभांश पर कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष का शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2024 को आरक्षित निधि एवं अधिशेष					**17763.01**
31.03.2025 को आरक्षित निधि एवं अधिशेष					**22061.36**

परिशिष्ट – 'ख'

स्थापना से अब तक लाभ एवं हानि का विश्लेषण 54 वर्ष (1971–72 से 2024–25 तक)

(राशि करोड़ में)

		मद 2024–25 तक संचयी	कुल व्यय ₹ 6662.28 के प्रतिशत के रूप में
I.	**आय**		
	बिक्री	5086.92	
	भारत सरकार से अनुदान (न्यूनतम समर्थन मूल्य)	862.66	
	भारत सरकार से अनुदान (बीज)	14.93	
	पश्चिम बंगाल से विशेष अनुदान (न्यूनतम समर्थन मूल्य)	1.55	
	अन्य आय	310.27	
	समापन भंडार	110.32	
		6386.65	**96**
II.	**व्यय (प्रशासनिक व्यय और ब्याज को छोड़कर)**		
	क्रय	4176.31	
	व्यापारिक एवं परिचालन व्यय	421.20	
	भंडारण	108.37	
	बीमा	38.48	
	पूर्व अवधि एवं अन्य समायोजन	16.20	
	असाधारण मद	24.74	
		4785.30	**72**
III.	अधिशेष (प्रशासनिक व्यय और ब्याज से पूर्व)	1601.35	
IV.	घटाएँ : प्रशासनिक व्यय	1334.32	**20**
V.	ब्याज से पूर्व अधिशेष / (घाटा)	267.03	**4**
VI.	जोड़ें : ऋणों पर ब्याज	(597.24)	
		(330.21)	
VII.	आयकर (1973-74, 1976-77, 2004-05, 2008-09, 2009-10 ,2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 , 2016-17, 2017-18, 2018-19 ,2019-20, 2020-21, 2022-23, 23 , 2023-24 और 2024-25)	123.77	
	Fringe Benefit Tax (2005-06 to 2008-09)	0.37	
	Dividend to Govt. including distribution tax(1971-72, 1973-74 , 2016-17,2017-18,2018-19 ,2019-20, 2020-21, 2021-22,2022-23 ,2023-24 & 2024-25)	47.36	
	Loss :	(501.71)	
VIII.	खातों में अभिलिखित अनुदान (2002–03 तक)	555.20	
IX.	2002–03 तक की संचित हानि, जिसे वित्तीय पुनर्गठन के परिणामस्वरूप समायोजित किया गया	144.17	
X.	वित्तीय पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पूंजीगत लाभ	22.96	
XI.	वित्तीय वर्ष 2024–25 तक का लाभ (समायोजन के पश्चात शेष राशि), जिसे तुलन पत्र में आगे ले जाया गया (VIII + IX + X − VII)	220.61	

परिशिष्ट – 'ग'

सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1	कंपनी की सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का संक्षिप्त विवरण, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों से संबंधित वेब लिंक का उल्लेख शामिल है।	जूट निगम एक लाभ अर्जित करने वाला संगठन होने के कारण कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ संचालित करने के लिए बाध्य है। निगम की सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा अनुशंसित तथा निदेशक मंडल की 25.06.2019 को आयोजित 252वीं बैठक में अनुमोदित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को ध्यान में रखते हुए संचालित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त निगम को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार भी सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में संलग्न होना आवश्यक है, जिन्हें समय-समय पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी किया जाता है। <u>निगम की सामाजिक उत्तरदायित्व नीति</u> भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, ताकि उन्हें उनके उत्पादित जूट के लिए उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा विशेष रूप से संकट की स्थिति में मजबूरन बिक्री से बचाया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के अतिरिक्त, जूट निगम बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक खरीद और बिक्री भी करता है। इसी कारण जूट उत्पादकों का कल्याण, जो प्रायः सीमित आय वाले छोटे और सीमांत किसान हैं, इसकी सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का प्रमुख केंद्र और मार्गदर्शक तत्व है। प्रबंधन का प्रयास रहेगा कि कंपनियों से संबंधित अधिनियम 2013 की अनुसूची सात में उल्लिखित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय किया जाए। किसी विशेष वर्ष में सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की पहचान और उनके क्रियान्वयन के समय सार्वजनिक उपक्रम विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जूट उत्पादकों और बुनकरों को नई कौशल और प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिससे उनकी आय और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही जूट उत्पादकों और बुनकरों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। जूट उत्पादकों और बुनकरों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पेयजल, स्वच्छता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण आदि से संबंधित सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष के अंत में यदि कोई राशि व्यय नहीं हो पाती है, तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान नियोजित और बजटित कार्यक्रम
<table>
<tr><th>संगठन का नाम</th><th>उद्देश्य</th></tr>
<tr><td>नौसेना फाउंडेशन, कोलकाता शाखा</td><td>आठवाँ एडमिरल आधार कुमार चटर्जी स्मृति व्याख्यान</td></tr>
<tr><td>सु-समन्वय, पश्चिम बंगाल</td><td>अनाथ आवासीय शैक्षणिक केंद्र के लिए एक वर्ष की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहायता</td></tr>
<tr><td>आरजव, पश्चिम बंगाल</td><td>थैलेसीमिया जागरूकता एवं परीक्षण के लिए अनुदान</td></tr>
<tr><td>रेड क्रॉस सोसाइटी, पश्चिम बंगाल राज्य शाखा</td><td>रोगियों के लिए एम्बुलेंस</td></tr>
<tr><td>रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर</td><td>विंगर एफएल एम्बुलेंस (3488 शेल, 10+ यात्री क्षमता, डीजल वाहन) के लिए अनुदान</td></tr>
<tr><td>थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ इंडिया</td><td>आयरन चेलेटर्स (थैलेसीमिया में शरीर में अधिक आयरन कम करने के लिए प्रयुक्त)
1. डेसिफर 400 (टैबलेट)
2. केल्फर 500 (कैप्सूल)
आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों की सहायता हेतु</td></tr>
<tr><td>बेहाला बालानंद ब्रह्मचारी अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र</td><td>5 मल्टीपैरामीटर मॉनिटर तथा 1 रोगी मॉनिटर स्टेशन, ईटीसीओ2 क्षमता सहित</td></tr>
<tr><td>केंद्रीय सैनिक बोर्ड</td><td>सशस्त्र सेना ध्वज निधि</td></tr>
<tr><td>सफल्या</td><td>निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर (मोतीयाबिंद शल्य चिकित्सा सहित), जन-जागरूकता शिविर, तथा निःशुल्क स्कूल बैग, पुस्तकें, कॉपियाँ, पेन आदि का वितरण; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के वंचित वर्गों के लिए शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रम</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सीएसआर समिति की संरचना</td><td>1. श्री अजय कुमार जोली, प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
2. श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, सरकार द्वारा नामित निदेशक – सदस्य
3. श्री पूर्णेश गुरुरानी, सरकार द्वारा नामित निदेशक – सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के लिए)</td><td>Rs. 20,58,00,000/-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>निर्धारित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (उपरोक्त राशि का दो प्रतिशत)</td><td>Rs.41,16,000/-</td></tr>
</table>

5	वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का विवरण	
	1) वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि	Rs.41,16,000/-
	1) व्यय न की गई राशि (यदि कोई हो) 31.03.2025 तक	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व बजट से 6.50 लाख रुपये
	वित्तीय वर्ष के दौरान राशि किस प्रकार व्यय की गई	व्यय का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है

तालिका – वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का विवरण

क्रम संख्या	सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना	क्षेत्र	परियोजना राज्य / जिला	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	नौसेना फाउंडेशन, कोलकाता शाखा – आठवाँ एडमिरल आधार कुमार चटर्जी स्मृति व्याख्यान	सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं तथा उनके आश्रितों के हित के लिए उपाय	पश्चिम बंगाल	.50
2	सु-समन्वय, पश्चिम बंगाल – अनाथ आवासीय शैक्षणिक केंद्र के लिए एक वर्ष की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहायता	स्वास्थ्य एवं शिक्षा	पश्चिम बंगाल	3.00
3	आरजव, पश्चिम बंगाल – थैलेसीमिया जागरूकता और परीक्षण हेतु अनुदान	स्वास्थ्य	पश्चिम बंगाल	3.00
4	रेड क्रॉस सोसाइटी, पश्चिम बंगाल राज्य शाखा – रोगियों के लिए एम्बुलेंस	स्वास्थ्य	पश्चिम बंगाल	8.00
5	रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर – विंगर एफएल एम्बुलेंस (3488 शेल, 10+ यात्री क्षमता, डीजल वाहन) के लिए अनुदान	स्वास्थ्य	अरुणाचल प्रदेश	10.00
6	थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ इंडिया – आयरन चेलेटर्स (थैलेसीमिया में शरीर में अधिक आयरन को कम करने हेतु) 1. डेसिफर 400 (टैबलेट) 2. केल्फर 500 (कैप्सूल)	स्वास्थ्य	पश्चिम बंगाल	4.00
7	बेहाला बालानंद ब्रह्मचारी अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र – 5 मल्टीपैरामीटर मॉनिटर तथा 1 रोगी मॉनिटर स्टेशन (ईटीसीओ2 क्षमता सहित)	स्वास्थ्य	पश्चिम बंगाल	4.00
8	केंद्रीय सैनिक बोर्ड – सशस्त्र सेना ध्वज निधि	सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं तथा उनके आश्रितों के हित के लिए उपाय	संपूर्ण भारत	2.16
	कुल			**34.66**

III	सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का वक्तव्य	सामाजिक उत्तरदायित्व समिति यह पुष्टि करती है कि सामाजिक उत्तरदायित्व पर किया गया व्यय सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अनुरूप किया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है।

वित्तीय प्रदर्शन

(राशि लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25
क.	**परिचालन सांख्यिकी**					
	कारोबार	11577.60	3130.24	11331.73	56351.37	60800.42
	अन्य आय	3920.26	3479.73	3866.79	3350.54	3957.14
	व्यय	13898.41	5514.18	14010.92	53336.67	56710.78
	पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	असाधारण मद	0.00	-2474.00	0.00	0.00	0.00
	कर पूर्व लाभ	1599.44	-1378.21	1187.60	6365.24	8046.78
	कर	384.21	0.00	187.00	1753.56	2364.93
	स्थगित कर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर पश्चात लाभ	1215.23	-1378.21	1000.60	4611.68	5681.85
	लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	462.00	776.18	0.00	718.50	1383.50
	सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	753.23	-2154.39	1000.60	3893.18	4298.35
ख.	**वित्तीय स्थिति**					
	नियोजित पूंजी	15523.62	13369.23	14369.83	18263.01	22561.36
	गैर चालू परिसंपत्तियाँ	330.26	287.91	293.04	339.15	504.70
	चालू परिसंपत्तियाँ	22910.69	20321.39	24170.16	44084.36	32653.40
	स्वामित्व निधि एवं देनदारियाँ :					
	i) अंश पूंजी	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	ii) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	15023.62	12869.23	13869.83	17763.01	22061.36
	गैर चालू देनदारियाँ	4008.68	3550.06	3699.65	3718.59	4095.23
	चालू देनदारियाँ	3708.65	3690.01	6393.72	22441.91	6501.51
ग.	**अनुपात**					
	कर पूर्व लाभ / कारोबार	0.14	-0.44	0.10	0.11	0.13
	कर पश्चात लाभ / कारोबार	0.10	-0.44	0.09	0.08	0.09
	कर पूर्व लाभ / नियोजित पूंजी	0.10	-0.10	0.08	0.35	0.36
	शुद्ध मूल्य पर लाभ	0.08	-0.10	0.07	0.25	0.25
	कारोबार / शुद्ध मूल्य	0.75	0.23	0.79	3.09	2.69
	व्यापार देय / कारोबार (%)	6.70	3.41	13.44	5.24	1.78

कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

सेवा में,
बोर्ड के निदेशक,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (सीआईएन: U17232WB1971GOI027958) (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है। यह जांच भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा 14 मई 2010 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का पालन करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का निर्माण, उनका कार्यान्वयन तथा उनका अनुरक्षण शामिल है, ताकि कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

हमारी जांच कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित रही है, जो इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई हैं। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण है और न ही उन पर किसी प्रकार की राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का पालन किया है।

हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन कंपनी की भविष्य की स्थिरता अथवा प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं देता है।

आर. एन. पॉल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
फर्म विशिष्ट कोड संख्या – S2013WB203600

सीएस रुद्र नारायण पॉल
सदस्यता संख्या – F8494
अभ्यास प्रमाणपत्र संख्या – 9772
यूडीआईएन: F008494G003952533

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18.02.2026

यह प्रतिवेदन उसी तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो इस कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र के साथ "परिशिष्ट–क" के रूप में संलग्न है और इस प्रमाणपत्र का अभिन्न अंग है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र

कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र का परिशिष्ट – 'क'

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

सेवा में,
बोर्ड के निदेशक,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

हमारा उसी तिथि का कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. अभिलेखों का संधारण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन अभिलेखों के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने अभिलेखों की विषयवस्तु की शुद्धता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य अभिलक्षित हैं। हमारा विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. लागू विधियों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण केवल परीक्षण आधार पर अभिलेखों के सत्यापन तक सीमित था।

आर. एन. पॉल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
फर्म विशिष्ट कोड संख्या – S2013WB203600

सीएस रुद्र नारायण पॉल
सदस्यता संख्या – F8494
अभ्यास प्रमाणपत्र संख्या – 9772
यूडीआईएन: F008494G003952533

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18.02.2026

क्षेत्रीय कार्यालय

दिनांक 31-03-2025 की स्थिति के अनुसार

राज्य	मुख्य कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय / आरएलडी	डीपीसी / एससीएस की संख्या	राज्यवार कुल डीपीसी / एससीएस
पश्चिम बंगाल	कोलकाता आरएलडी	12	69
	सिलीगुड़ी क्षेत्रीय कार्यालय	6	
	कूचबिहार क्षेत्रीय कार्यालय	6	
	मालदा क्षेत्रीय कार्यालय	9	
	कृष्णनगर क्षेत्रीय कार्यालय	13	
	बहरामपुर क्षेत्रीय कार्यालय	12	
	बेतुआदहारी क्षेत्रीय कार्यालय	11	
असम	गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय	7	19
	गोरिपुर आरएलडी	5	
	नागांव क्षेत्रीय कार्यालय	7	
बिहार	फारबिसगंज आरएलडी	12	12
ओडिशा	भद्रक आरएलडी	6	6
आंध्र प्रदेश	पेरवतीपुरम आरएलडी	2	2
त्रिपुरा	अगरतला क्षेत्रीय कार्यालय	2	2
कुल		**110**	**110**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर प्रतिवेदन

राय

हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ("कंपनी") के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च 2025 की स्थिति में तुलन पत्र, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण, तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ, जिनमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित हैं (जिन्हें आगे "वित्तीय विवरण" कहा गया है), शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षानुसार आवश्यक जानकारी निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2025 की स्थिति में कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसके लाभ तथा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए उसके नकद प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी" शीर्षक अनुभाग में आगे किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का भी पालन किया है। हमने इन आवश्यकताओं तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं, जो वित्तीय विवरणों पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित जानकारी शामिल है, किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय इस अन्य जानकारी को आच्छादित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें

कि क्या वह अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षण के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ किसी महत्वपूर्ण रूप से असंगत है अथवा अन्यथा किसी महत्वपूर्ण त्रुटि का संकेत देती है। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि है, तो हमें उस तथ्य की सूचना देनी होती है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन तथा निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के लिए उत्तरदायी है, जिनमें ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी शामिल है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा नकद प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण भी शामिल है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोका और पहचाना जा सके; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और उनका अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान करना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हों ताकि लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित हो सके, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए आवश्यक हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की तैयारी करते समय प्रबंधन कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता का आकलन करने, आवश्यकतानुसार निरंतर संचालन से संबंधित विषयों का प्रकटीकरण करने तथा लेखांकन में निरंतर संचालन के आधार का उपयोग करने के लिए भी उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई यथार्थ विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, तथा ऐसी लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। यथोचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगा ही लेगा, यदि वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब यह उचित रूप से अपेक्षित हो कि वे, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किए गए लेखा परीक्षण के भाग के रूप में हम पूरे लेखा परीक्षण के दौरान व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं तथा व्यावसायिक संदेहशीलता बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं और उन्हें लागू करते हैं, तथा ऐसी लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करती हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न चल पाने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण को निष्प्रभावी करना शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि

क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा ऐसे नियंत्रणों की कार्यात्मक प्रभावशीलता क्या है।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए लेखा अनुमानों और उनसे संबंधित प्रकटीकरणों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए निरंतर संचालन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो अपनी राय में संशोधन करना पड़ता है। इस संबंध में निरंतर संचालन की उपयुक्तता के विषय में हमारी रिपोर्ट के ऊपर दिए गए अनुच्छेद "निरंतर संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता" का संदर्भ लिया जा सकता है। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी के निरंतर संचालन को समाप्त करने का कारण बन सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, तथा यह देखना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

महत्वपूर्णता वह परिमाण है जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों में किए गए गलत विवरण, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से हों या सामूहिक रूप से, ऐसे हो सकते हैं कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर दें। हम अपने लेखा परीक्षण कार्य की सीमा निर्धारित करने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए परिमाणात्मक महत्वपूर्णता तथा गुणात्मक कारकों दोनों पर विचार करते हैं; तथा वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का आकलन करते हैं।

हम शासन की जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्तियों के साथ, अन्य विषयों के साथ-साथ, लेखा परीक्षण की नियोजित सीमा और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के संबंध में संवाद करते हैं, जिनमें वे महत्वपूर्ण कमियाँ भी शामिल हैं जो हमारे लेखा परीक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई जाती हैं।

हम शासन की जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य विषयों के संबंध में संवाद करते हैं जिनके बारे में उचित रूप से यह माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ संबंधित सुरक्षा उपायों का भी उल्लेख करते हैं।

शासन की जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्तियों के साथ जिन विषयों पर संवाद किया जाता है, उनमें से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षण विषय हैं।

हम इन विषयों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में करते हैं, जब तक कि कोई विधि या विनियम उस विषय के सार्वजनिक प्रकटीकरण को निषिद्ध न करता हो अथवा अत्यंत विरल परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करें कि किसी विषय को अपनी रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित में ऐसे प्रकटीकरण से होने वाले लाभ से अधिक हो सकते हैं।

अन्य विषय

हम उपयोगकर्ताओं का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण उपर्युक्त परिस्थितियों में किया गया है। हमने निम्नलिखित अन्य विषयों को अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करने योग्य माना है.

1) वित्तीय विवरणों के टिप्पणी क्रमांक 4 एवं 28 के अनुसार, परियोजनाओं से संबंधित अल्पकालिक जमाओं पर वर्ष के दौरान अर्जित 190.89 लाख रुपये का ब्याज संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। तथापि, इस ब्याज आय को आयकर के लिए आय के रूप में दर्शाया गया है तथा इस पर स्रोत पर कर कटौती का दावा कंपनी द्वारा किया गया है।

2) वित्तीय विवरणों के टिप्पणी क्रमांक 35 के अनुसार 31 मार्च 2025 की स्थिति में 1.73 लाख रुपये की राशि विभिन्न पक्षों से प्राप्त होनी है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण अधिक अथवा गलत भुगतान किया गया था। इनमें से 0.20 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है और 30.09.2025 की स्थिति में शेष बकाया राशि 1.53 लाख रुपये है।

उपरोक्त विषयों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनियों के लेखा परीक्षक प्रतिवेदन आदेश 2020 के अनुसार, हम आदेश के अनुच्छेद 3 तथा 4 में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में "परिशिष्ट–क" में अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत, उपर्युक्त लेखा परीक्षण के आधार पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों तथा अतिरिक्त निर्देशों, उन पर की गई कार्यवाही तथा कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव के संबंध में हम "परिशिष्ट–ख" में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार हम निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं :

   (क) हमने अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

   (ख) हमारी राय में, जहाँ तक हमारे परीक्षण से स्पष्ट होता है, कंपनी द्वारा विधि के अनुसार आवश्यक लेखा पुस्तकों का समुचित रूप से संधारण किया गया है।

   (ग) इस प्रतिवेदन में सम्मिलित तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के साथ संगत हैं।

   (घ) हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करते हैं, जिन्हें कंपनियों के लेखा नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

   (ङ) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। अतः हमें यह प्रतिवेदन देने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी का कोई निदेशक उक्त धारा के प्रावधानों के अंतर्गत अयोग्य है या नहीं।

   (च) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की कार्यात्मक प्रभावशीलता के संबंध में हमारे पृथक प्रतिवेदन के लिए इस रिपोर्ट के "परिशिष्ट–ग" का संदर्भ लिया जाए।

   (छ) अधिनियम की धारा 197(16) के अंतर्गत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में,

जैसा कि संशोधित किया गया है, हम यह प्रतिवेदन देते हैं कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस. आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती। अतः हमें यह प्रतिवेदन देने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं।

(ज) कंपनियों के लेखा परीक्षण तथा लेखा परीक्षक नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर:

i. कंपनी ने लंबित वाद-विवादों के अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटीकरण अपने वित्तीय विवरणों में किया है। इसके लिए टिप्पणी क्रमांक 26 देखें।

ii. कंपनी के पास ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध, जिनमें व्युत्पन्न अनुबंध भी शामिल हैं, नहीं थे जिनके कारण कोई महत्वपूर्ण संभावित हानि हो सकती हो।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किए जाने के लिए कोई राशि देय नहीं थी।

iv. (क) प्रबंधन ने हमें यह प्रतिवेदन दिया है कि उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिनमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं ("मध्यस्थ"), को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निधि अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में प्रदान नहीं की गई है (चाहे वह उधार ली गई निधि, अंश प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त निधि हो), इस समझ के साथ कि वह मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में निवेश या ऋण प्रदान करेगा, जिन्हें कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाना गया हो ("अंतिम लाभार्थी"), अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी प्रकार की गारंटी, सुरक्षा या अन्य सुविधा प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने हमें यह प्रतिवेदन दिया है कि उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिनमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं ("वित्तपोषण पक्ष"), से ऐसी कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ—चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा—कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगी या निवेश करेगी जिन्हें वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाना गया हो ("अंतिम लाभार्थी"), अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी प्रकार की गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करेगी; और

(ग) परिस्थितियों के अनुसार युक्तिसंगत और उपयुक्त मानी जाने वाली हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर हमें ऐसा कोई तथ्य ज्ञात नहीं हुआ है जिससे यह विश्वास किया जा सके कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद 3(ह)(iv)(क) और (ख) के अंतर्गत नियम 11(ई) की उपधाराओं (i) और (ii) के अनुसार दिए गए प्रतिवेदनों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित या भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।

vi. हमारे परीक्षण, जिसमें परीक्षण आधार पर की गई जाँच भी शामिल है, के आधार पर कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा अभिलेख ऐसे लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए बनाए रखे हैं जिसमें लेखा परीक्षण पथ (संपादन अभिलेख) की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा वर्ष भर सभी संबंधित लेन-देन के लिए कार्यरत रही।

इसके अतिरिक्त, हमारे लेखा परीक्षण के दौरान हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जिससे यह संकेत मिले कि लेखा सॉफ्टवेयर में उपलब्ध लेखा परीक्षण पथ सुविधा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई हो, उस अवधि के संबंध में जिसके लिए यह सुविधा सक्षम और कार्यरत थी। कंपनी द्वारा विधिक आवश्यकताओं के अनुसार अभिलेख संरक्षण अवधि के लिए लेखा परीक्षण पथ को सुरक्षित रखा गया है, जिस अवधि में यह सुविधा सक्षम और कार्यरत थी।

जे के वी एस एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या: 318086ई

(उत्सव सराफ)

भागीदार (सदस्यता संख्या: 306932)

यूडीआईएन: 25306932BMNWRL8624

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 10 नवम्बर 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट – क

हमारी उसी तिथि की रिपोर्ट के "अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्षक के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में।

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा लेखा परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा जांची गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के आधार पर तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हम निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं :

i. कंपनी की स्थावर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में:

(क) कंपनी ने स्थावर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से संबंधित अभिलेखों का समुचित संधारण किया है, जिनमें मात्रात्मक विवरण तथा उनकी स्थिति सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध है।

कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों के संबंध में भी पूर्ण विवरण दर्शाने वाले समुचित अभिलेखों का संधारण किया है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, स्थावर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कंपनी के संचालन के आकार को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है और प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिवेदन देना लागू नहीं होता।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी स्थावर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) टिप्पणी क्रमांक 40.5 में दिए गए प्रकटीकरण तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) अधिनियम 1988 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

(ii) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान भंडार का प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति उचित है तथा इस सत्यापन की सीमा और प्रक्रिया उपयुक्त है। भौतिक भंडार और लेखा अभिलेखों के बीच सत्यापन के दौरान ऐसा कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया जो किसी भी वर्ग के भंडार के कुल का 10 प्रतिशत से अधिक हो।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर यह पाया गया कि कंपनी को वर्ष के दौरान बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों से कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में रखकर कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी तिमाही आधार पर भंडार का मूल्यांकन दर्ज नहीं करती, बल्कि वर्ष के अंत में भंडार का लेखांकन करती है। तथापि मार्च 2025 के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत नवीनतम तिमाही विवरण लेखा पुस्तकों के साथ महत्वपूर्ण रूप से संगत पाए गए हैं।

iii. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य किसी पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है तथा न ही किसी प्रकार के ऋण या ऋण के स्वरूप में अग्रिम, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित, प्रदान किए हैं। अतः आदेश के अनुच्छेद (iii) (क) से (च) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

iv. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई सुरक्षा या गारंटी प्रदान की है तथा न ही कोई ऋण या ऋण के स्वरूप में अग्रिम, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित, प्रदान किए हैं, जिन पर अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हों। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(iv) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

v. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है और न ही कंपनियों अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अर्थ में मानी जाने वाली कोई जमा राशि स्वीकार की है, जहाँ तक वे लागू होते हैं। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(v) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

vi. कंपनी के लिए कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के संधारण का प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है। अतः इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिवेदन देना लागू नहीं होता।

(vii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वैधानिक देयों के संबंध में:

(क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा लेखा पुस्तकों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयों को संबंधित प्राधिकरणों के पास समय पर जमा करने में नियमित रही है, जहाँ तक वे लागू होते हैं। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2025 की स्थिति में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देयों के संबंध में ऐसी कोई निर्विवाद बकाया राशि नहीं थी जो देय होने की तिथि से छह माह से अधिक अवधि तक लंबित रही हो, निम्नलिखित को छोड़कर:

अधिनियम का नाम	देय राशि का प्रकार	राशि	जिस अवधि से संबंधित	देय तिथि	भुगतान की तिथि
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम	कर्मचारी राज्य बीमा	14,717	विभिन्न तिथियाँ, 30 सितम्बर 2023 तक	प्रत्येक पूर्ववर्ती माह की 15 तारीख	अभी तक भुगतान नहीं किया गया

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी पर बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा मूल्य वर्धित कर से संबंधित कोई भी बकाया देय राशि विवाद के कारण जमा नहीं की गई है, निम्नलिखित को छोड़कर :

अधिनियम का नाम	देय राशि का प्रकार	राशि	जिस अवधि से संबंधित	जहाँ विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर मांग	1309.49 लाख रुपये	आकलन वर्ष 2007–08 से 2013–14	निर्धारण अधिकारी / आयकर आयुक्त (अपील) / आयकर अपीलीय अधिकरण

राशि विरोध के अंतर्गत भुगतान अथवा वापसी के साथ समायोजित राशि को घटाने के बाद की है।

(viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए आकलनों में वर्ष के दौरान किसी ऐसी लेन-देन को, जो पहले लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं थी, आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(viii) के अंतर्गत प्रतिवेदन देने की आवश्यकता लागू नहीं होती।

(ix) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार हमारी राय में कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण अथवा अन्य उधार की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या अन्य ऋणदाता अथवा सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर ऋण चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) चूँकि वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई अवधि ऋण नहीं था, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर हम प्रतिवेदन करते हैं कि कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संबद्ध कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(ङ) और (च) के अंतर्गत प्रतिवेदन देने की आवश्यकता लागू नहीं होती।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम / आगे के सार्वजनिक निर्गम (ऋण साधनों सहित) अथवा अवधि ऋण के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(x)(क) के अंतर्गत प्रतिवेदन देने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांची गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का वरीय आवंटन अथवा निजी नियोजन के माध्यम से शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किए हैं। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(x)(ख) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

(xi) (क) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षण प्रथाओं के अनुसार कंपनी की लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी न तो पाई गई है और न ही रिपोर्ट की गई है।

(ख) कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत कंपनियों के लेखा परीक्षण एवं लेखा परीक्षक नियम 2014 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी प्रकार की व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमारी राय में कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के अनुच्छेद (xii)(क) से (ग) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

(xiii) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनियों के बीच किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त है। हमारी राय में कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ होने वाले लागू लेन-देन के संबंध में अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का विवरण लागू लेखा मानकों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में तथा हमारे परीक्षण के आधार पर कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली उपलब्ध है।

(ख) हमने लेखा परीक्षण के अंतर्गत वर्ष के दौरान तथा इस तिथि तक कंपनी को जारी किए गए आंतरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों पर विचार किया है, ताकि अपने लेखा परीक्षण की प्रकृति, समय तथा सीमा निर्धारित की जा सके।

(xv) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके साथ संबद्ध व्यक्तियों के साथ कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 192 में उल्लिखित किसी भी प्रकार के गैर-नकद लेन-देन में प्रवेश नहीं किया है।

(xvi) (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(xvi)(क) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

(ख) हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी भी प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ नहीं की हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार कंपनी मूल निवेश कंपनी नहीं है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(xvi)(ग) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना लागू नहीं होता।

(घ) लेखा परीक्षण के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार समूह के भीतर कोई भी मूल निवेश कंपनी (जैसा कि मूल निवेश कंपनियाँ (भारतीय रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित है) नहीं है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(xvi)(घ) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना लागू नहीं होता।

xvii. हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष तथा उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं हुआ है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(xviii) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

xix. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु तथा उनकी अपेक्षित प्राप्ति तिथियों, वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य जानकारी, निदेशक मंडल तथा प्रबंधन की योजनाओं के संबंध में हमारे ज्ञान तथा धारणाओं के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे यह विश्वास किया जा सके कि लेखा परीक्षण रिपोर्ट की तिथि पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जिससे यह संकेत मिले कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को, जब वे देय हों, तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं होगी।

हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की स्थिरता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है।

हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारा प्रतिवेदन लेखा परीक्षण रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है और हम यह न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियाँ कंपनी द्वारा उनके देय होने पर चुकता कर दी जाएँगी।

(xx) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए "प्रचलित परियोजनाओं के अतिरिक्त" सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं के संबंध में कोई ऐसी अव्ययित राशि शेष नहीं थी जिसे कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे उपबंध के अनुपालन में अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रचलित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं के संबंध में 31 मार्च 2025 की स्थिति में 6.50 लाख रुपये की राशि अव्ययित रही, जिसे कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में अप्रैल 2025 के दौरान "अव्ययित सामाजिक उत्तरदायित्व खाता" में

स्थानांतरित कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अनुच्छेद 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) में दिए गए हमारे टिप्पणियों के अतिरिक्त हम आगे यह भी प्रतिवेदन करते हैं कि—

(क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा वार्षिक प्रतिवेदन में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित 2.00 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित 1.41 लाख रुपये की अव्ययित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्धारित समय सीमा के पश्चात भी उपयोग में नहीं लाई गई थी।

इन राशियों के उपयोग तथा स्थानांतरण में विलंब मुख्यतः जूट विविधीकृत उत्पादों में कौशल विकास से संबंधित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं के कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अंतिम चरण पूर्ण न किए जाने तथा कोविड–19 से संबंधित व्यवधानों के कारण हुआ।

(ख) यह बताया गया है कि इन राशियों को अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में स्थानांतरित किया जाना था; तथापि इनका वास्तविक स्थानांतरण वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2024–25 के दौरान पूर्ण किया गया।

xxi. प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संबद्ध कंपनी या संयुक्त उपक्रम नहीं है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(xxi) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

जे के वी एस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 318086ई

(उत्सव सराफ)
भागीदार (सदस्यता संख्या: 306932)
यूडीआईएन: 25306932BMNWRL8624

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10 नवम्बर 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट – ख

यह परिशिष्ट हमारे उस प्रतिवेदन के संदर्भ में है जो हमने कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किया है।

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सामान्य निर्देश

क्रम सं.	निर्देश	परीक्षक की टिप्पणियाँ
1.	कंपनी द्वारा सीधे अथवा ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों (सूचीबद्ध तथा गैर-सूचीबद्ध दोनों) के उचित मूल्यांकन का आकलन किया जाए, जो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों से संबंधित हैं। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, Ind AS के साथ संगति सुनिश्चित करना तथा सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक को मूल्यांकन की पद्धति, उसकी युक्तिसंगतता तथा लागू नियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करनी होगी और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या त्रुटि की रिपोर्ट करनी होगी।	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभों से संबंधित कंपनी की देनदारियों का प्रबंधन ट्रस्टों के माध्यम से किया जाता है। चूँकि ये ट्रस्ट भारतीय लेखा मानकों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इन मानकों के अंतर्गत उचित मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकताएँ लागू नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त, इन ट्रस्टों का लेखा परीक्षण पृथक-पृथक चार्टर्ड लेखाकार फर्मों द्वारा किया जाता है तथा ट्रस्ट की लेखा पुस्तकों का लेखा परीक्षण अभी लंबित है। इन निधियों को धारण करने वाले ट्रस्टों के खाते हमें उपलब्ध नहीं कराए गए; परिणामस्वरूप, ऐसे ट्रस्टों द्वारा धारण किए गए निवेशों के अस्तित्व, मूल्यांकन अथवा अनुपालन के संबंध में हम कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
2.	क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हाँ, तो क्या इस प्रणाली तथा उन नियंत्रणों की समीक्षा की गई है जो कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, और क्या साइबर सुरक्षा की भी जाँच की गई है? यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगति पाई गई हो तो क्या उसकी उचित रूप से रिपोर्ट की गई है? यदि लेखा लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर संसाधित किए जाते हैं, तो उसके कंपनी के खातों की विश्वसनीयता पर प्रभाव तथा उससे संबंधित वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का विवरण दिया जाना चाहिए।	**हाँ, कंपनी अपने सभी लेखा लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के माध्यम से संसाधित करती है तथा लेखा पुस्तकों का संधारण पूर्णतः इसी प्रणाली में किया जाता है। हमारे लेखा परीक्षण के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं पाया गया जहाँ लेखा लेन–देन इस प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए हों।** **कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति तथा साइबर सुरक्षा नीति भी तैयार कर लागू की है, जिनके अंतर्गत प्रणाली तक पहुँच, आँकड़ा सुरक्षा, बैकअप प्रक्रियाएँ तथा समग्र सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों का संचालन किया जाता है। हमारी समीक्षा के आधार पर कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति या नियंत्रण संबंधी कमी नहीं पाई गई जो वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सके।** **चूँकि सभी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से ही संसाधित किए जाते हैं, इसलिए प्रणाली के बाहर लेन–देन संसाधित होने से कोई वित्तीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता।**

3.	क्या केंद्रीय अथवा राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाली निधियाँ (अनुदान, सहायता राशि आदि) लागू लेखा मानकों अथवा नियमों के अनुसार सही प्रकार से लेखांकित की गई हैं? क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उनकी निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुसार किया गया है? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन भी अनुदान की शर्तों एवं नियमों के अनुसार किया गया है? किसी भी प्रकार के विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत की जाए।	कंपनी को कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के लिए अपनी अवसंरचना के रखरखाव हेतु अनुदान/सहायता राशि प्राप्त हुई है। हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी की लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर यह पाया गया कि उक्त निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह प्रदान की गई थी। हमें किसी भी प्रकार का विचलन प्राप्त नहीं हुआ। जूट आई-केयर से संबंधित परियोजना का लेखा परीक्षण पृथक चार्टर्ड लेखाकार फर्मों द्वारा किया जाता है। अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन संबंधित अनुदानों की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया है, तथापि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी क्रमांक 28 में उल्लिखित कुछ अनुदानों के संबंध में परियोजनाओं से संबंधित अर्जित ब्याज को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है।
4.	क्या कंपनी ने अपने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या इन जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी ने कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो— (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी आँकड़ा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने अपने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें रणनीतिक, परिचालन, वित्तीय, वाणिज्यिक, विधिक, अनुपालन तथा मानव संसाधन से संबंधित जोखिम शामिल हैं। निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत एक जोखिम प्रबंधन नीति लागू है, जिसमें जोखिमों की पहचान, आकलन, न्यूनीकरण तथा निगरानी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और निदेशक मंडल, लेखा परीक्षण समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाएँ परिभाषित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति (संस्करण 2.0) तथा साइबर सुरक्षा नीति भी लागू की है, जिनमें प्रणाली तक पहुँच नियंत्रण, आँकड़ा सुरक्षा, बैकअप प्रक्रियाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, साइबर घटनाओं के प्रबंधन तथा संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के प्रावधान शामिल हैं। (क) वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन के संबंध में — जोखिम प्रबंधन नीति व्यापक रूप से उद्यम जोखिम प्रबंधन के स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करती है; तथापि इसे अंतरराष्ट्रीय ढाँचों जैसे आईएसओ 31000 अथवा सीओएसओ उद्यम जोखिम प्रबंधन के साथ औपचारिक रूप से तुलनात्मक रूप से निर्धारित या प्रलेखित नहीं किया गया है। (ख) आँकड़ा परिसंपत्तियों की पहचान और मूल्यांकन के संबंध में — यद्यपि साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी नीतियाँ आँकड़ा संरक्षण तथा प्रणाली सुरक्षा को संबोधित करती हैं, कंपनी ने अपने आँकड़ा अथवा सूचना परिसंपत्तियों को जोखिम वहन करने वाली परिसंपत्तियों के रूप में जोखिम प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत पृथक रूप से न तो चिन्हित किया है और न ही उनका मूल्यांकन किया है। ऐसी आँकड़ा परिसंपत्तियों के लिए कोई औपचारिक मूल्यांकन पद्धति भी अपनाई नहीं गई है।

5.	क्या कंपनी प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अन्य लागू नियमों और विनियमों, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल–भारत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रासंगिक नियमों और विनियमों का, जहाँ भी लागू हो, अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।	कंपनी किसी भी शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते। कंपनी भारत सरकार का एक उपक्रम है और सामान्यतः कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी लागू दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है। लेखा परीक्षण के दौरान कंपनियों अधिनियम, 2013, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा-निर्देशों, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचनाओं अथवा प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के किसी भी लागू प्रावधान के साथ कोई महत्वपूर्ण अनुपालनहीनता या विचलन हमारे संज्ञान में नहीं आया। कंपनी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करती जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या राष्ट्रीय भुगतान निगम जैसी संस्थाओं से नियामकीय स्वीकृति आवश्यक हो; अतः इन विनियमों का अनुप्रयोग कंपनी पर नहीं होता। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कंपनी ने कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल–भारत तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण अनुपालनहीनता का कोई उदाहरण नहीं पाया गया।

जे के वी एस एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318086ई

(उत्सव सराफ)
साझेदार (सदस्यता संख्या: 306932)
यूडीआईएन: 25306932बीएमएनडब्ल्यूआरएल8624

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10 नवम्बर 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट – ग

(हमारी उसी तिथि की रिपोर्ट के "अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्षक के अनुच्छेद 2 (च) में उल्लिखित, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत)

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च 2025 की स्थिति में वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, जो उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ संयुक्त रूप से किया गया है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रणों के मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उनके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। ये मानदंड भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और उनका अनुरक्षण शामिल है, ताकि कंपनी के व्यवसाय का सुव्यवस्थित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके। इसमें कंपनी की नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा उनका पता लगाना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता तथा कंपनियों अधिनियम, 2013 के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी तथा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है, जिन्हें कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माना गया है, जहाँ तक वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं।

इन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है तथा लेखा परीक्षण की योजना बनानी और उसे इस प्रकार निष्पादित करना होता है कि यह यथोचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी कार्यात्मक प्रभावशीलता के संबंध में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएँ करना शामिल था।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा परीक्षण में इन नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा और उनकी कार्यात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी राय

व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा बाहरी प्रयोजनों के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करने के लिए निर्मित किया जाता है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जो- (1) ऐसे अभिलेखों के संधारण से संबंधित होती हैं जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों से संबंधित लेन–देन और उनके निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करते हैं; (2) यह यथोचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन–देन इस प्रकार दर्ज किए गए हैं जिससे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें, तथा कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल प्रबंधन और कंपनी के निदेशकों की स्वीकृति के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम अथवा समय पर पहचान के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिससे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत की संभावना अथवा प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को अनुचित रूप से निष्प्रभावी कर देना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण उत्पन्न हो सकते हैं और उनका पता न भी चल सके। इसके अतिरिक्त, भविष्य की अवधियों के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन होता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ऐसे नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के पालन की सीमा में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 की स्थिति में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। यह निष्कर्ष कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के मानदंडों के आधार पर है, जिनमें भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा गया है।

जे के वी एस एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318086ई

(उत्सव सराफ)
साझेदार (सदस्यता संख्या: 306932)
यूडीआईएन: 25306932बीएमएनडब्ल्यूआरएल8624

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10 नवम्बर 2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निगम के संबंध में वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए अन्य विषयों पर प्रबंधन का उत्तर

क्रम संख्या	लेखा परीक्षण टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
अन्य विषय		
1.	वित्तीय विवरणों की टिप्पणी क्रमांक 4 एवं 28 के अनुसार परियोजनाओं से संबंधित अल्पकालिक जमा पर वर्ष के दौरान अर्जित 190.89 लाख रुपये का ब्याज संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। तथापि इस ब्याज आय को आयकर के लिए आय के रूप में दर्शाया गया है तथा इस पर स्रोत पर कर कटौती का दावा कंपनी द्वारा किया गया है।	जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है। अतः ऐसे सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज से उत्पन्न आय का दावा जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नहीं किया जाता। तथापि ये सावधि जमाएँ जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर हैं तथा बैंकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्थायी खाता संख्या के विरुद्ध की जाती है। इसलिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खातों और संबंधित परियोजनाओं के खातों के बीच आवश्यक आयकर संबंधी लेखा प्रविष्टियाँ की गई हैं। अर्जित ब्याज तथा उसे संबंधित परियोजना निधि में जमा किए जाने का विवरण वार्षिक खातों की टिप्पणी क्रमांक 28 में प्रदर्शित किया गया है।
2.	वित्तीय विवरणों की टिप्पणी क्रमांक 35 के अनुसार 31 मार्च 2025 की स्थिति में 1.73 लाख रुपये की राशि विभिन्न पक्षों से प्राप्त होनी है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण अधिक अथवा गलत भुगतान किया गया था। इनमें से 0.20 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है और 30.09.2025 की स्थिति में शेष बकाया राशि 1.53 लाख रुपये है।	निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के विरुद्ध जूट उत्पादकों को भुगतान सीधे ऑनलाइन माध्यम (एनईएफटी / आरटीजीएस) से करने की पहल की थी। इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए प्रणाली सॉफ्टवेयर अपनाया गया तथा भुगतान हेतु खरीद से संबंधित आँकड़ों को प्रणाली में संसाधित किया गया। तथापि, कंप्यूटरीकरण के दौरान सामान्य रूप से अनुमानित जोखिमों से परे एक अप्रत्याशित त्रुटि के कारण ऑनलाइन भुगतान के प्रारंभिक चरण में 1.45 करोड़ रुपये की राशि अज्ञात लाभार्थियों को स्थानांतरित हो गई। प्रबंधन ने इस विषय को तुरंत अपने बैंकों के साथ उठाया और गलत लाभार्थियों को चली गई राशि की वसूली के लिए लगातार प्रयास किए। वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2023–24 के दौरान 142.66 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रारंभिक शेष राशि 2.34 लाख रुपये थी। चालू लेखा परीक्षण वर्ष के दौरान 0.61 लाख रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई और 31 मार्च 2025 की स्थिति में शेष राशि 1.73 लाख रुपये रही। इसके अतिरिक्त 01.04.2025 से 15.09.2025 की अवधि में 0.20 लाख रुपये की और वसूली की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली के लिए बैंकों के साथ निरंतर अनुवर्तन किया जा रहा है और बकाया राशि प्राप्त होने की अपेक्षा है। इस संबंध में विस्तृत विवरण वार्षिक खातों की टिप्पणी क्रमांक 35 में दिया गया है।

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनियों अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह राय अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण के आधार पर व्यक्त की जाती है। उनके द्वारा यह कार्य 10 नवम्बर 2025 की तिथि के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया है।

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण नहीं किया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 19 नवम्बर 2025

(अनिंद्य दासगुप्ता)

महानिदेशक लेखा परीक्षण (खनन)

कोलकाता

31 मार्च 2025 की स्थिति में तुलन-पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	टिप्पणी क्रमांक	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I. इक्विटी और देनदारियाँ			
अंशधारक निधि			
अंश पूंजी	3(A)	500.00	500.00
भंडार और अधिशेष	3(B)	22,061.36	17,763.01
गैर-वर्तमान देनदारियाँ			
अन्य दीर्घकालीन देनदारियाँ	4	3,263.88	2,937.68
दीर्घकालीन प्रावधान	5	831.35	780.91
वर्तमान देनदारियाँ			
अल्पकालीन उधार	6	0.00	12,881.36
व्यापार देय	7		
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया		49.46	177.88
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य देय		2,054.45	3,762.29
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	8	4,227.84	5,410.64
अल्पकालीन प्रावधान	9	169.76	209.74
कुल		**33,158.10**	**44,423.51**
II. परिसंपत्तियाँ			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	10		
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		422.95	302.29
Intangible Assets		44.61	0.87
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	11	37.14	35.99
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
भंडार	12	11,032.37	31,931.46
व्यापार प्राप्तियाँ	13	1,084.11	2,952.70
नकद और नकद समकक्ष	14	19,539.59	8,226.26
अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	15	607.62	599.61
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	16	389.71	374.33
कुल		**33,158.10**	**44,423.51**

सामान्य जानकारी एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	टिप्पणी 1 और 2	
वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य टिप्पणियाँ	25 से 42	

उपर्युक्त टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

जे के वी एस एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318086 ई

निदेशक मंडल की ओर से

(उत्सव सराफ)	**(अविक साहा)**	**(कौशिक रक्षित)**	**(शशि भूषण सिंह)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता संख्या 306932)		डीआईएन: 11047373	डीआईएन: 11170563

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10 नवम्बर 2025
यूडीआईएन: 25306932बीएमएनडब्ल्यूआरएल8624

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि लाख में)

विवरण	टिप्पणी क्रमांक	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
I. आय			
परिचालन से आय	**17**	63,912.92	59,151.37
अन्य आय	**18**	844.64	550.54
कुल आय		**64,757.56**	**59,701.91**
II. व्यय			
व्यापार और प्रत्यक्ष व्यय हेतु स्टॉक की खरीद	**19**	29,046.26	62,990.49
स्टॉक में परिवर्तन	**20**	20,899.09	(15,753.53)
कर्मचारी लाभ व्यय	**21**	3,361.61	2,645.24
वित्तीय लागत	**22**	247.38	830.98
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**23**	37.52	27.91
अन्य व्यय	**24**	3,118.92	2,595.58
कुल व्यय		**56,710.78**	**53,336.67**
असाधारण और असामान्य मदों से पूर्व लाभ		**8,046.78**	**6,365.24**
असाधारण मदें		-	-
असामान्य मदें		-	-
कर से पूर्व लाभ		**8,046.78**	**6,365.24**
कर व्यय			
चालू कर		2,364.93	1,753.56
स्थगित कर		-	-
वर्ष का लाभ		**5,681.85**	**4,611.68**
प्रति इक्विटी शेयर औसत संख्या (मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर)		**5,00,000**	**5,00,000**
प्रति शेयर आय			
मूल		1,136	922
पतला		1,136	922
सामान्य जानकारी एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	**1 और 2**		
वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य टिप्पणियाँ	**25 से 42**		

उपर्युक्त टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

जे के वी एस एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318086 ई

निदेशक मंडल की ओर से

(उत्सव सराफ)	**(अविक साहा)**	**(कौशिक रक्षित)**	**(शशि भूषण सिंह)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता संख्या 306932)		डीआईएन: 11047373	डीआईएन: 11170563

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10 नवम्बर 2025
यूडीआईएन: 25306932बीएमएनडब्ल्यूआरएल8624

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पूर्व लाभ तथा पूर्व अवधि समायोजन से पूर्व लाभ	8,046.78	6,365.24
समायोजन :		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	37.52	27.91
ब्याज आय	(331.00)	(169.84)
वित्तीय लागत	247.38	830.98
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	8,000.68	7,054.29
भंडार में वृद्धि / (कमी)	20,899.09	(15,753.53)
विविध देनदारों में वृद्धि / (कमी)	1,868.58	(1,429.45)
ऋण एवं अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(279.25)	(210.36)
देनदारियाँ एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(2,817.69)	5,911.12
	27,671.41	(4,427.93)
आयकर भुगतान घटाएँ	(2,110.24)	(1,940.16)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**25,561.17**	**(6,368.09)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(202.02)	(73.95)
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री	0.11	0.04
प्राप्त ब्याज	331.00	169.84
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**129.09**	**95.93**
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पकालीन ऋण लिया / (चुकाया)	(12,881.36)	10,035.92
वित्तीय लागत	(247.38)	(830.98)
लाभांश भुगतान (वितरण कर सहित)	(1,383.50)	(718.50)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(14,512.24)**	**8,486.44**
नकद एवं नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	11,178.02	2,214.28
वर्ष की शुरुआत में नकद एवं नकद समकक्ष	5,611.87	3,397.59
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	**16,789.89**	**5,611.87**

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

जे के वी एस एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318086 ई

निदेशक मंडल की ओर से

(उत्सव सराफ)	**(अविक साहा)**	**(कौशिक रक्षित)**	**(शशि भूषण सिंह)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता संख्या 306932)		डीआईएन: 11047373	डीआईएन: 11170563

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10 नवम्बर 2025
यूडीआईएन: 25306932बीएमएनडब्ल्यूआरएल8624

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी

(राशि लाख में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए		2024-2025	2023-2024
नकद एवं नकद समकक्ष			
बैलेंस शीट के अनुसार — नकद एवं नकद समकक्ष	(ए)	19,539.59	8,226.26
घटाएँ : नकद, बैंक एवं सावधि जमा			
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)		92.64	88.08
जैव-प्रौद्योगिकी रेटिंग प्रौद्योगिकी		1.17	1.17
आईजेएसजी		13.98	13.98
भारत सरकार से रिबोनर के विकास हेतु		152.14	144.70
जूट प्रौद्योगिकी मिशन		2,489.77	2,366.46
उप-योग	(बी)	2,749.70	2,614.39
कुल नकद एवं नकद समकक्ष	**(ए – ब)**	**16,789.89**	**5,611.87**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी :

1. सामान्य जानकारी

द भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीआई), वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में भारत में कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी।

प्रारंभ में जेसीआई ने एक छोटे व्यापारिक एजेंसी के रूप में अपना कार्य आरंभ किया था, लेकिन धीरे-धीरे इसने भारत के जूट उत्पादक क्षेत्रों में अपना नेटवर्क विस्तारित किया और वर्तमान में यह भारत के 6 राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश) में सफलतापूर्वक कार्यरत है।

जेसीआई अपने 110 विभागीय क्रय केंद्रों (डीपीसी) तथा 14 क्षेत्रीय कार्यालयों / क्षेत्रीय लीड डीपीसी के माध्यम से कार्य करता है, जबकि इसका मुख्य कार्यालय कोलकाता में स्थित है।

जेसीआई जूट की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है तथा कच्चे जूट के बाजार में एक स्थिरीकरण एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जेसीआई के मूल्य-समर्थन संचालन के अंतर्गत किसानों—जो प्रायः छोटे एवं सीमांत किसान होते हैं—से कच्चा जूट एमएसपी पर बिना किसी मात्रात्मक सीमा के खरीदा जाता है, जब भी बाजार में जूट का प्रचलित मूल्य एमएसपी के बराबर या उससे कम होता है।

ये संचालन बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति को अवशोषित कर काल्पनिक बफर तैयार करने में सहायता करते हैं, जिससे कच्चे जूट के मूल्यों में अंतर-मौसमी उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सके। यह उस न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) को भी दर्शाता है जिस पर जूट किसान अपनी उपज बेच सकता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन (एमएसपी) के अतिरिक्त, जेसीआई निम्नलिखित कार्य भी करता है:

- कच्चे जूट का व्यावसायिक संचालन
- जूट विविधीकृत उत्पादों का व्यापार
- प्रमाणित जूट बीजों का वितरण

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

2.1 लेखांकन का आधार तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी

वित्तीय विवरणों को भारत में लागू लेखा सिद्धांतों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है। ये विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों तथा उससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपार्जन (एक्रुअल) आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखा नीतियाँ पिछले वर्ष की नीतियों के अनुरूप और समान हैं।

2.2 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा मूल्यह्रास

i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) को उनकी अधिग्रहण लागत से संचयी मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है।

ii) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान क्रमशः अमूर्तीकृत (एमॉर्टाइज़) किया जाता है।

iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास पट्टाधारित परिसर को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनकी उपयोगी आयु के अनुसार प्रदान किया जाता है तथा यह कंपनियाँ अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में निर्धारित तरीके के अनुरूप होता है।

iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत संगणक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत संगणक में अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण के रूप में मोबाइल फोन भी शामिल होते हैं।

2.3 अमूर्त परिसंपत्तियाँ और परिशोधन

i) संगणक सॉफ्टवेयर आदि जैसी अमूर्त परिसंपत्तियाँ, जिन्हें भारत के चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 26 में परिभाषित किया गया है, उन्हें अधिग्रहण लागत से परिशोधन घटाकर दर्शाया जाता है।

ii) अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 5 से 10 वर्ष की अवधि में उनकी उपयोगी आयु को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा यह भारत के चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 26 के अनुरूप होता है।

2.4 भंडार

i) क्रय किया गया कच्चा जूट भंडार भारित औसत लागत अथवा शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

ii) जूट के विविधीकृत उत्पादों का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iii) जूट बीज का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई कच्चे जूट की मात्रा प्रति गाठ 180 किलोग्राम के आधार पर गाठों में होती है।

2.5 नकद तथा नकद समतुल्य

नकद में हाथ में उपलब्ध नकद तथा बैंकों में उपलब्ध शेष राशि शामिल होती है, जिन्हें ज्ञात नकद राशि में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम अत्यंत नगण्य होता है।

2.6 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें असाधारण तथा विशेष मदों और कर से पूर्व लाभ को ज्ञात नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। निगम की परिचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से संबंधित नकदी प्रवाह उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक किए जाते हैं और लेखा मानक 3 के अनुरूप तैयार किए जाते हैं।

2.7 कर्मचारी लाभ

i) उपदान

क) नियमित कर्मचारी

निगम जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित समूह उपदान निधि में अंशदान करता है और नियमित कर्मचारियों की उपदान देयता का भुगतान इसी निधि से किया जाता है।

ख) आकस्मिक, संविदा, बाह्यस्रोत तथा आकस्मिक व्यवस्था के कर्मचारी

निगम आकस्मिक, संविदा, बाह्यस्रोत तथा आकस्मिक व्यवस्था के कर्मचारियों के उपदान की देयता को वित्तीय विवरणों में गणनात्मक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाता है तथा इन कर्मचारियों को उपदान का भुगतान उनके

सेवानिवृत्ति के समय निगम द्वारा स्वयं किया जाता है।

उपदान सभी कर्मचारियों को देय है, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है (01-01-2024 से वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपये)।

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष मानी गई है। देयता की गणना करते समय भविष्य के वेतन की प्रगति को भी ध्यान में रखा जाता है। महँगाई भत्ता में वृद्धि को भी गणनात्मक मूल्यांकन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

गणनात्मक मूल्यांकन में प्रयुक्त मान्यताएँ और पद्धति लेखा मानक 15 (2005 में संशोधित) की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

ii) अवकाश नकदीकरण लाभ (अवित्तपोषित)

निगम नियमित कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ की देयता को वित्तीय विवरणों में समापन तिथि पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए गणनात्मक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाता है।

गणनात्मक मूल्यांकन में प्रयुक्त मान्यताएँ और पद्धति लेखा मानक 15 (2005 में संशोधित) की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

iii) कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि

भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए अंशदान उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त किया जाता है जब कर्मचारी सेवा में होते हैं।

भविष्य निधि के अंशदान जूट निगम लिमिटेड की अंशदायी भविष्य निधि न्यास में जमा किए जाते हैं। पेंशन निधि के अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा किए जाते हैं।

iv) अवकाश यात्रा रियायत

अवकाश यात्रा रियायत का लेखांकन उस समय किया जाता है जब कर्मचारी द्वारा इसका दावा किया जाता है।

2.8 राजस्व की मान्यता

वित्तीय विवरणों की तैयारी में आय तथा व्यय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें उनकी प्राप्ति अथवा भुगतान का यथोचित रूप से निर्धारण या निपटान हो जाता है, जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो। निम्नलिखित मामलों में आय या व्यय की मान्यता वास्तविक प्राप्ति या निपटान के आधार पर की जाती है :

(क) पुस्तकीय देयों पर ब्याज आय, यदि कोई हो।

(ख) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज, यदि कोई हो।

(ग) बीमा कंपनियों तथा अन्य संस्थाओं के साथ दर्ज किए गए अस्थायी दावे, यदि कोई हों।

(घ) वहन लागत, यदि कोई हो।

(ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को उसी वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिसके लिए सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है, बशर्ते कि उस वर्ष के लेखा अभिलेखों के अंतिम रूप से तैयार होने से पहले स्वीकृति प्राप्त हो जाए। यदि किसी वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान की सरकारी स्वीकृति उस वर्ष के लेखा अभिलेखों के अंतिम रूप से तैयार होने के बाद प्राप्त होती है, तो उसे उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिसमें स्वीकृति प्राप्त होती है और इसके साथ लेखों में उपयुक्त टिप्पणी दी जाती है।

2.9 वेतनमान के संशोधन से संबंधित देयता

कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में संशोधन अथवा वृद्धि से संबंधित देयता को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें सरकार द्वारा इसे स्वीकृत किया जाता है अथवा निगम को अधिसूचित किया जाता है।

2.10 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व वर्षों से संबंधित 10,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक व्यक्तिगत लेनदेन को पूर्व अवधि समायोजन खाते के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है।

2.11 वर्तमान तथा स्थगित कर के लिए प्रावधान

वर्तमान कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

स्थगित कर को समयांतर भिन्नताओं के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो कि कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच का अंतर होता है और जो आगे की एक या अधिक अवधियों में उलटने की संभावना रखता है। यह लेखा मानक 22 के अनुरूप होता है।

2.12 परिसंपत्तियों का अवमूल्यन

किसी परिसंपत्ति को अवमूल्यित माना जाता है जब उसकी वहन लागत उसके पुनर्प्राप्ति योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। अवमूल्यन हानि को उसी वर्ष के लाभ-हानि खाते में आरोपित किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति को अवमूल्यित के रूप में पहचाना जाता है। यदि पुनर्प्राप्ति योग्य मूल्य के अनुमान में परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त अवमूल्यन हानि को उलट दिया जाता है।

2.13 प्रावधान, संभावित देयताएँ तथा संभावित परिसंपत्तियाँ

मापन में पर्याप्त अनुमान शामिल होने वाले प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो और संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना हो। संभावित देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। संभावित परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

संदिग्ध देयों के लिए प्रावधान यदि कोई देय राशि 3 वर्ष से अधिक समय तक अभिलेखों में लंबित रहती है, तो उसके लिए संदिग्ध देयों का प्रावधान किया जाता है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(राशि लाख में)

3(क). अंश पूंजी

	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
विवरण				
5,00,000 इक्विटी अंश, ₹100 प्रति अंश		500.00		500.00
		500.00		**500.00**
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता				
5,00,000 इक्विटी अंश, ₹100 प्रति अंश पूर्ण चुकता		500.00		500.00
		500.00		**500.00**
(क) वर्ष के अंत में प्रचलित इक्विटी अंशों का समायोजन				
	अंशों की संख्या	**राशि**	**अंशों की संख्या**	**राशि**
वर्ष के प्रारंभ में प्रचलित अंश	5,00,000	500.00	5,00,000	500.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी अंश	-	-	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान पुनर्खरीद किए गए अंश	-	-	-	-
वर्ष के अंत में प्रचलित अंश	**5,00,000**	**500.00**	**5,00,000**	**500.00**

(ख) इक्विटी अंशों से संबंधित नियम एवं अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी अंश हैं जिन पर मतदान का अधिकार अंशधारकों की अंशधारिता के अनुपात में होता है।

(ग) कंपनी के अंशों में 5% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले अंशधारकों का विवरण	**अंशधारक का नाम**	**31 मार्च 2025 को अंशों की संख्या**		**31 मार्च 2024 को अंशों की संख्या**	
		अंशों की संख्या	**अंशधारिता प्रतिशत**	**अंशों की संख्या**	**अंशधारिता प्रतिशत**
	भारत के राष्ट्रपति	**499998**	**99.99%**	**499998**	**99.99%**

(घ) बैलेंस शीट की तिथि से पूर्व के पाँच वर्षों की अवधि के संबंध में

i) किसी भी अनुबंध के अंतर्गत बिना नकद प्राप्त किए पूर्ण चुकता अंश आवंटित नहीं किए गए हैं।

ii) बोनस अंशों के रूप में कोई भी पूर्ण चुकता अंश आवंटित नहीं किए गए हैं।

iii) किसी भी अंश की पुनर्खरीद नहीं की गई है।

iv) ऐसे कोई प्रतिभूति साधन नहीं हैं जो अंशों में परिवर्तनीय हों।

v) ऐसे कोई अंश नहीं हैं जिन पर मांग की गई राशि अभी तक अवैतनिक हो।

vi) कोई भी अंश जब्त नहीं किए गए हैं।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(राशि लाख में)

3(ख). आरक्षित निधि एवं अधिशेष

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
अधिशेष				
गत वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार	17,763.01		13,869.83	
जोड़ें : वर्ष का लाभ / (हानि)	5,681.85		4,611.68	
	23,444.86		18,481.51	
घटाएँ : भुगतान किया गया लाभांश	1,383.50	22,061.36	718.50	17,763.01
शुद्ध अधिशेष		**22,061.36**		**17,763.01**

4. अन्य दीर्घकालीन देनदारियाँ

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
परियोजना निधियों में शेष राशि				
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)		92.64		88.08
जैव-प्रौद्योगिकी रेटिंग प्रौद्योगिकी		1.17		1.17
आईजेएसजी		13.98		13.98
भारत सरकार से रिबोनर के विकास हेतु		152.14		144.70
जूट प्रौद्योगिकी मिशन		2,489.77		2,366.46
अन्य दीर्घकालीन देनदारियाँ				
अग्रिम धन जमा		1.00		0.23
सुरक्षा जमा		88.03		83.40
देनदार व्यय एवं अन्य देयताएँ		349.09		161.74
ग्राहकों से अग्रिम		6.05		7.90
संयुक्त उपक्रम से अग्रिम		10.27		10.27
प्रायोगिक परियोजनाएँ / वातानुकूलन		0.48		0.48
परियोजना सज्जा मशीन		10.88		10.88
परियोजना संतृप्ति		48.38		48.39
कुल		**3,263.88**		**2,937.68**

5. दीर्घकालीन प्रावधान

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
ग्रेच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)		302.84		274.92
अवकाश वेतन (नियमित कर्मचारी)		528.51		505.99
कुल		**831.35**		**780.91**

6. अल्पकालीन उधार

अन्य दीर्घकालिक दायित्व	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
(मांग पर देय एवं सुरक्षित ऋण)				
बैंकों से :				
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से नकद ऋण		-		5,127.80
पंजाब नेशनल बैंक से नकद ऋण		-		3,027.68
यस बैंक से नकद ऋण		-		199.51
भारतीय स्टेट बैंक से नकद ऋण		0.00		4,526.37
कुल		**0.00**		**12,881.36**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(राशि लाख में)

7: व्यापार देयताएँ

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय कुल बकाया		49.46		177.88
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य देय		2,054.45		3,762.29
संबंधित पक्षों को देय		-		-
कुल		**2,103.91**		**3,940.17**

7.1: व्यापार देयताओं की आयु सारणी : 31 मार्च 2025 को

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि के बाद की अवधियों के लिए बकाया				
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	-	-	48.11	-	-	-	48.11
अन्य	-	-	1,903.18	43.13	-	108.14	2,054.45
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (विवादित)	-	-	-	1.12	-	0.23	1.35
अन्य (विवादित)	-	-	-	-	-	-	-
कुल			**1,951.29**	**44.25**	**-**	**108.37**	**2,103.91**

7.2: व्यापार देयताओं की आयु सारणी : 31 मार्च 2024 को

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि के बाद की अवधियों के लिए बकाया				
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	-	-	148.52	-	-	-	148.52
अन्य	-	-	3,576.50	77.16	108.63	-	3,762.29
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (विवादित)	-	-	28.05	1.04	0.27	-	29.36
अन्य (विवादित)	-	-	-	-	-	-	-
कुल			**3,753.07**	**78.20**	**108.90**	**-**	**3,940.17**

8: अन्य चालू देनदारियाँ

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
वैधानिक देय				
पेंशन निधि देय		0.88		26.81
कर्मचारी राज्य बीमा देय		0.15		0.15
भविष्य निधि देय		-		19.04
स्रोत पर संग्रहित कर देय		2.33		7.26
स्रोत पर कटित कर देय		30.66		38.56
पेशा कर देय		0.35		0.32
वस्तु एवं सेवा कर देय		16.29		6.61
अन्य देय				
अग्रिम धन जमा		7.46		19.73
सुरक्षा जमा		399.04		359.40
रोकी गई राशि		8.02		106.84
देय व्यय एवं अन्य देयताएँ		524.47		987.12
परियोजना आई-केयर		943.98		1,126.12
परियोजना जेआरसीपी		-		1.29
ग्राहकों से अग्रिम		2,187.40		2,488.10
दावे देय		106.81		223.29
कुल		**4,227.84**		**5,410.64**

9: अल्पकालीन प्रावधान

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
बोनस	75.80		45.43	
अवकाश वेतन (नियमित कर्मचारी)	33.11		49.20	
ग्रेच्युटी (नियमित कर्मचारी)	27.19		62.49	
ग्रेच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	33.66		52.62	
		169.76		**209.74**
कुल		**169.76**		**209.74**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

10. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि लाख में)

मूर्त परिसंपत्ति	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	31.03.2024 को	योग	लोप/ समायोजन	31.03.2025 को	31.03.2024 को	योग वर्ष के लिए	लोप/ समायोजन	31.03.2025 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ	259.98	-	-	259.98	67.02	2.89	-	69.91	190.07	192.96
फर्नीचर एवं फिटिंग	37.40	3.11	-	40.51	33.32	0.75	-	34.07	6.44	4.08
कार्यालय उपकरण	31.67	117.67	-	149.34	18.53	8.12	-	26.65	122.69	13.14
विभागीय क्रय केंद्र उपकरण	57.83	23.36	-	81.19	11.87	4.41	-	16.28	64.91	45.96
संगणक	136.02	10.73	2.16	144.59	92.26	20.40	2.05	110.61	33.98	43.76
विद्युत स्थापना	2.78	2.02	-	4.80	0.81	0.32	-	1.13	3.67	1.97
वातानुकूलक	2.57	0.95	-	3.52	2.15	0.18	-	2.33	1.19	0.42
साइकिल	1.16	-	-	1.16	1.16	-	-	1.16	-	-
कुल (क)	**529.41**	**157.84**	**2.16**	**685.09**	**227.12**	**37.07**	**2.05**	**262.14**	**422.95**	**302.29**
अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
संगणक अनुप्रयोग	5.58	44.18	-	49.76	5.52	0.15	-	5.67	44.09	0.06
वेबसाइट	1.15	-	-	1.15	0.75	0.23	-	0.98	0.17	0.40
व्यापार चिह्न	0.60	-	-	0.60	0.19	0.06	-	0.25	0.35	0.41
कुल (ख)	**7.33**	**44.18**	**-**	**51.51**	**6.46**	**0.44**	**-**	**6.90**	**44.61**	**0.87**
चालू वर्ष (क + ख)	**536.74**	**202.02**	**2.16**	**736.60**	**233.58**	**37.51**	**2.05**	**269.04**	**467.56**	**303.16**
पूर्व वर्ष	463.42	73.95	0.63	536.74	206.26	27.91	0.59	233.58	303.16	257.16

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(राशि लाख में)

11. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
सुरक्षा जमा				
असुरक्षित, अच्छा माना गया		1.55		0.40
अन्य पक्षों को अग्रिम				
असुरक्षित तथा अच्छा माना गया	35.59		35.59	
असुरक्षित तथा संदिग्ध माना गया	0.47		0.53	
घटाएँ : प्रावधान	(0.47)	35.59	(0.53)	35.59
कुल		**37.14**		**35.99**

12. भंडार

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
कच्चा जूट – मूल्य समर्थन		3,979.71		25,089.50
कच्चा जूट – व्यावसायिक		6,696.37		6,497.90
जूट बीज		287.66		285.30
जूट विविधीकृत उत्पाद		68.63		58.76
कुल		**11,032.37**		**31,931.46**

13. व्यापार प्राप्य

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया				
असुरक्षित, अच्छा माना गया	-		59.44	
असुरक्षित तथा संदिग्ध माना गया	51.16		0.73	
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	(51.16)	-	(0.73)	59.44
अन्य		1,084.11		2,893.26
असुरक्षित, अच्छा माना गया				
कुल		**1,084.11**		**2,952.70**

13.1: व्यापार प्राप्य आयु सारणी : 31 मार्च 2025 को

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि				
			6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
अविवादित, अच्छा माना गया	-	-	1,084.11	-	-	-	-
अविवादित, संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	51.16
विवादित, अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-
विवादित, संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(राशि लाख में)

13.2: व्यापार प्राप्य आयु सारणी : 31 मार्च 2024 को

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि				
			6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
अविवादित, अच्छा माना गया	-	-	2,893.26	8.12	-	10.55	40.77
अविवादित, संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	0.73
विवादित, अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-
विवादित, संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	-

14. नकद तथा नकद समकक्ष

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
नकद तथा नकद समकक्ष				
बैंकों में शेष राशि :				
चालू खातों में		964.86		2,305.07
बचत खातों में		667.33		987.98
अधिविकर्ष / नगद ऋण खातों में		0.46		-
सावधि जमा खातों में		17,900.28		4,933.08
हाथ में नकद		6.66		0.13
कुल		**19,539.59**		**8,226.26**

15. अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
नकद या वस्तु के रूप में वसूल योग्य अग्रिम				
कर्मचारियों को अग्रिम		2.86		3.31
अन्य पक्षों को अग्रिम				
असुरक्षित तथा अच्छा माना गया		78.98		37.27
अग्रिम व्यय		296.81		75.58
वस्तु एवं सेवा कर प्राप्ति योग्य		0.21		-
अग्रिम आयकर	12,756.30		10,590.47	
घटाएँ : आयकर हेतु प्रावधान				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	10,107.02		8,304.12	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,420.52	228.76	1,802.90	483.45
कुल		**607.62**		**599.61**

16. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
ब्याज अर्जित किन्तु देय नहीं		262.86		132.82
भारत सरकार से प्राप्ति योग्य अनुदान		45.83		109.00
बीमा दावा प्राप्ति योग्य		3.41		4.90
वैधानिक प्राधिकरणों के पास जमा		77.61		127.61
कुल		**389.71**		**374.33**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(राशि लाख में)

17. परिचालन से आय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
विक्रय		
कच्चा जूट – मूल्य समर्थन	58,881.03	55,694.75
कच्चा जूट – व्यावसायिक	869.01	-
जूट विविधीकृत उत्पाद	308.90	149.33
जूट विविधीकृत उत्पाद (निर्यात)	-	0.87
जूट बीज	1,100.29	754.41
घटाएँ : भुगतान किए गए दावे	(358.81)	(247.99)
	60,800.42	**56,351.37**
17.1 अन्य परिचालन आय		
भारत सरकार से अनुदान (न्यूनतम समर्थन मूल्य)	3,112.50	2,800.00
कुल	**63,912.92**	**59,151.37**

18. अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	331.00	169.84
प्राप्त किराया	2.23	1.02
वहन लागत (मूल्य समर्थन)	348.53	235.80
अब आवश्यक न रहने वाली देनदारी (लिखित वापसी)	46.41	60.99
बीमा दावा	19.07	2.92
विविध आय	16.13	15.00
पर्यवेक्षण शुल्क (परियोजनाएँ)	81.27	64.97
कुल	**844.64**	**550.54**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(राशि लाख में)

19. व्यापार हेतु स्टॉक की खरीद तथा प्रत्यक्ष व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
खरीद		
कच्चा जूट – मूल्य समर्थन	25,913.41	59,745.70
जूट विविधीकृत उत्पाद	279.30	149.60
जूट बीज	1,101.41	700.10
उप-योग (क)	**27,294.12**	**60,595.40**
प्रत्यक्ष व्यय		
परिचालन व्यय	1,503.11	1,827.09
कर एवं उपकर	249.03	568.00
उप-योग (ख)	**1,752.14**	**2,395.09**
कुल	**29,046.26**	**62,990.49**

20. व्यापार हेतु स्टॉक की सूची में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक स्टॉक		
कच्चा जूट – मूल्य समर्थन	25,089.50	8,531.12
कच्चा जूट – व्यावसायिक	6,497.90	7,277.99
जूट बीज	285.30	334.94
जूट विविधीकृत उत्पाद	58.76	33.88
कुल	**31,931.46**	**16,177.93**
समापन स्टॉक		
कच्चा जूट – मूल्य समर्थन	3,979.71	25,089.50
कच्चा जूट – व्यावसायिक	6,696.37	6,497.90
जूट बीज	287.66	285.30
जूट विविधीकृत उत्पाद	68.63	58.76
कुल	**11,032.37**	**31,931.46**
Net (Increase) / Decrease	**20,899.09**	**(15,753.53)**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(राशि लाख में)

21. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं भत्ते	1,309.69	1,299.87
मजदूरी	1,536.92	981.05
निदेशकों का पारिश्रमिक	38.84	79.11
बोनस	92.49	48.24
निगम का पेंशन निधि में अंशदान	16.85	33.63
निगम का ग्रेच्युटी निधि में अंशदान	91.34	148.31
निगम का भविष्य निधि में अंशदान	98.89	101.57
निगम का कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान	-	4.52
कर्मचारी कल्याण व्यय	44.14	37.37
सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ	51.84	(168.94)
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	74.64	76.79
भविष्य निधि न्यास के प्रशासनिक प्रभार	1.65	1.99
अवकाश यात्रा व्यय	4.32	1.73
कुल	**3,361.61**	**2,645.24**

22. वित्तीय लागत

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
नकद ऋण पर ब्याज	244.42	780.81
अन्य	2.96	50.17
कुल	**247.38**	**830.98**

23. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
मूल्यह्रास व्यय	37.07	27.17
परिशोधन व्यय	0.44	0.74
कुल	**37.52**	**27.91**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(राशि लाख में)

24 . अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
मुद्रण एवं स्टेशनरी	22.67	22.32
विद्युत शुल्क	15.93	17.56
किराया	18.81	75.38
गोदाम किराया एवं भंडारण	360.36	269.58
मरम्मत एवं नवीनीकरण	99.97	36.48
कार्यालय रखरखाव व्यय	141.66	14.88
दरें एवं कर	0.67	0.98
बीमा	276.75	125.66
जूट विविधीकृत उत्पाद विकास व्यय	12.10	17.26
क्लब व्यय	2.74	3.08
भर्ती व्यय	0.28	0.93
यात्रा एवं परिवहन	145.18	134.56
विधिक एवं पेशेवर शुल्क	27.02	39.01
मालभाड़ा व्यय	1,592.51	1,574.62
वस्तु एवं सेवा कर	6.79	1.78
वैधानिक लेखा परीक्षण शुल्क	2.85	2.85
अन्य लेखा परीक्षण शुल्क	2.63	3.56
टेलीफोन एवं इंटरनेट शुल्क	20.08	14.67
डाक एवं कुरियर	1.99	2.24
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	1.22	2.05
मनोरंजन व्यय	0.39	0.52
सम्मेलन एवं बैठक व्यय	24.94	27.01
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38.07	10.50
विज्ञापन एवं प्रचार	14.45	5.74
वाहन व्यय	39.26	46.63
बैंक शुल्क	1.88	3.94
अनुसंधान एवं विकास व्यय	2.20	-
मानदेय एवं अन्य शुल्क	0.15	0.20
विविध शेष राशि लिखित समाप्त	35.21	0.07
संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	50.69	-
क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय व्यय	116.42	128.07
सुरक्षा गार्ड व्यय	43.05	13.45
कुल	**3,118.92**	**2,595.58**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ

25. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में विवरण

i. ग्रेच्युटी (नियमित)

Dवर्ष के दौरान निगम ने नियमित कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी व्यय के रूप में 27.19 लाख रुपये (पिछले वर्ष 105.03 लाख रुपये) मान्यता प्राप्त की, जो जीवन बीमा निगम द्वारा उठाई गई मांग के अनुसार है।

ii. ग्रेच्युटी (आकस्मिक, संविदा, आउटसोर्स तथा आकस्मिक कर्मचारी)

वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी देयता का शेष 336.50 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 327.54 लाख रुपये) जो आकस्मिक, संविदा, आउटसोर्स तथा आकस्मिक कर्मचारियों के लिए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया गया है।

मूल्यांकन का आधार		
	31.03.2025	**31.03.2024**
वार्षिक छूट दर (चक्रवृद्धि)	6.50 %	6.95 %
वेतन में वृद्धि की दर	14.00 %	14.00 %
अपेक्षित औसत शेष सेवा अवधि	21.37 वर्ष	20.60 वर्ष

iii. अवकाश नकदीकरण लाभ

वर्ष के अंत में अवकाश नकदीकरण देयता का शेष 561.62 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 555.19 लाख रुपये), जो नियमित कर्मचारियों के लिए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया गया है।

26. आकस्मिक देनदारियाँ

वित्तीय विवरणों में प्रावधान न की गई आकस्मिक देनदारियाँ (यदि कोई परिणामी देनदारी हो तो उसे छोड़कर) निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2025 (लाख रुपये)	31.03.2024 (लाख रुपये)
1.	निगम के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2557.83	6487.75
2.	अन्य धनराशि जिसके लिए निगम आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	1309.49	1504.95

उपरोक्त दूसरी मद में निगम के विरुद्ध आयकर मांग सम्मिलित है, जिसकी राशि 1309.49 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 1504.95 लाख रुपये)। यह मामला सहायक आयकर आयुक्त, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा अन्य अपीलीय प्राधिकारों के समक्ष लंबित है। निगम को आशा है कि निर्णय उसके पक्ष में होगा।

27. सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

निगम ने वर्ष के दौरान सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के अंतर्गत 38.07 लाख रुपये (पिछला वर्ष 10.50 लाख रुपये) व्यय किए हैं, जो निगम की सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुरूप हैं।

उपरोक्त राशि में से 34.66 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित सामाजिक उत्तरदायित्व बजट 41.16 लाख रुपये (पिछला वर्ष 9.50 लाख रुपये) के विरुद्ध व्यय किए गए हैं।

शेष 3.41 लाख रुपये का व्यय निम्नलिखित से संबंधित है :

(i) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय – 2.00 लाख रुपये

जैसा कि पिछली वार्षिक प्रतिवेदन में सूचित किया गया था, वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित 2.00 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक व्यय नहीं की जा सकी थी क्योंकि जूट के विविधीकृत उत्पादों के उत्पादन में कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चयनित दोनों संस्थाएँ अपने अंतिम चरण को पूरा नहीं कर सकीं। इस कारण निगम को दोनों संस्थाओं की अंतिम किस्त 1.00 लाख रुपये प्रत्येक को रोकना पड़ा।

उपर्युक्त दोनों परियोजनाएँ निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आरंभ की गई थीं, किन्तु अचानक उत्पन्न महामारी के कारण संस्थाओं का चयन तथा कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया केवल वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ही संभव हो सकी। पिछली प्रतिवेदन में यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी कि उपर्युक्त राशि को कंपनियाँ अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 के अंतर्गत आने वाले कोष में स्थानांतरित किया जाएगा। इसी के अनुसार उक्त राशि को "स्वच्छ गंगा कोष" तथा "स्वच्छ भारत कोष" में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय – 1.41 लाख रुपये

वर्तमान स्थिति के अनुसार, निगम वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित अव्ययित राशि को व्यय करने की योजना बना रहा है। यह राशि उस वर्ष के लिए निर्धारित सामाजिक उत्तरदायित्व बजट के अतिरिक्त होगी, जिसकी गणना कंपनियाँ अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

2024-25 : 6.50 लाख रुपये

28. परियोजनाओं के संबंध में प्रकटीकरण :

जूट प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के संबंध में :

(राशि लाख में)

परियोजना का नाम		(31 मार्च, 2025 तक)			
		प्राप्त राशि	अर्जित ब्याज	वितरण	शेष राशि
(क)	जूट गुणवत्ता सुधार (रेटिंग तकनीक)	40.00	83.52	30.88	92.64
		(40.00)	(77.09)	(29.01)	(88.08)
(ख)	मैनुअल/पावर चालित रिबोनर मशीन का विकास	34.00	139.83	21.69	152.14
		(34.00)	(129.34)	(18.64)	(144.70)
(ग)	जैव प्रौद्योगिकीय रेटिंग	9.00	-	7.83	1.17
		(9.00)	-	(7.83)	(1.17)

(घ)	जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम)	6005.00	2341.45	5856.68	2489.77
		(6005.00)	(2167.48)	(5806.02)	(2366.46)

उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित अल्पकालिक जमाओं पर अर्जित ब्याज को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है।

29. निदेशकों का पारिश्रमिक निम्नलिखित मदों को वित्तीय विवरणों के संबंधित शीर्षों में व्यय के रूप में शामिल किया गया है:

		31.03.2025 (लाख रुपये)	31.03.2024 (लाख रुपये)
(क)	वेतन	38.84	79.11
(ख)	भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी में अंशदान	3.94	7.82
(ग)	अन्य	15.49	38.48
कुल		**58.27**	**125.41**

30. प्रति शेयर आय निगम की प्रति शेयर आय की गणना निम्न प्रकार की गई है:

	31.03.2025 (लाख रुपये)	31.03.2024 (लाख रुपये)
वर्ष का लाभ	5681.85	4611.68
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5,00,000	5,00,000
प्रति शेयर आय (मूल तथा पतित) रुपये में	1136	922

31. स्थगित कर

स्थगित कर परिसंपत्ति की समीक्षा पिछले वर्ष से अग्रेषित स्थगित कर परिसंपत्ति तथा चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त स्थगित कर परिसंपत्ति को ध्यान में रखते हुए की गई है।

लेखांकन मानक 22 के अनुसार प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर स्थगित कर परिसंपत्ति के वहन मूल्य की समीक्षा की जाती है। यह भी निर्धारित किया गया है कि स्थगित कर परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाए और आगे ले जाया जाए जब यह यथोचित रूप से सुनिश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इस स्थगित कर परिसंपत्ति का उपयोग किया जा सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन करना है, जो कच्चे जूट के बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसलिए, भले ही परिचालन हो, यह सुनिश्चित नहीं है कि निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन में लगी लागत को सकारात्मक मार्जिन के साथ वसूल कर पाएगा, क्योंकि यह समय-समय पर सरकार के निर्णयों और नीतियों पर निर्भर करता है।

यद्यपि भारत सरकार सामान्यतः निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन से संबंधित कुछ व्ययों को पूरा करने के लिए पूर्व निर्धारित वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तथापि यह सहायता अवसंरचना व्यय तथा जूट क्रय और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों के व्यय दोनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होने की यथोचित निश्चितता नहीं है, जिसके आधार पर आगे ले जाई गई अथवा नवस्वीकृत स्थगित कर परिसंपत्ति को साकार किया जा सके।

32. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण निम्नलिखित है,

विवरण	संबंधित पक्ष का नाम
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1. श्री अजय कुमार जॉली, प्रबंध निदेशक
	2. श्री अविक साहा, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक) :

लेनदेन का प्रकार	संबंध	राशि लाख में	
		2024-25	2023-24
पारिश्रमिक			
श्री अजय कुमार जॉली	प्रबंध निदेशक	58.27	58.40
श्री अमिताभ सिन्हा	निदेशक (वित्त) (27.10.2024 तक)	-	67.01
श्री अविक साहा	कंपनी सचिव	21.84	19.67

33. व्यापारित वस्तुओं के संबंध में जानकारी

		2024-2025			2023-2024		
	विवरण	गाठें	क्विंटल	राशि (लाख रुपये)	गाठें	क्विंटल	राशि (लाख रुपये)
(क)	**खरीद**						
	कच्चा जूट	2,87,745	5,17,941	25,913.41	7,10,815	12,79,468	59,745.70
	जूट बीज		9639	1101.41		6551	700.10
	जूट विविधीकृत उत्पाद			279.30			149.60
		2,87,745	**5,27,580**	**27,294.12**	**7,10,815**	**12,86,019**	**60,595.40**
(ख)	**बिक्री**						
	कच्चा जूट	5,43,013	9,77,424	59,391.23	5,20,048	9,36,087	55,446.76
	जूट बीज		9761	1100.29		6965	754.41
	जूट विविधीकृत उत्पाद			308.90			150.20
		5,43,013	**9,87,185**	**60,800.42**	**5,20,048**	**9,43,052**	**56,351.37**
(ग)	**प्रारंभिक स्टॉक**						
	कच्चा जूट	3,62,146	6,51,863	31,587.40	1,81,541	3,26,774	15,809.11

	जूट बीज		3607	285.30		4021	334.94
	जूट विविधीकृत उत्पाद			58.76			33.88
		3,62,146	**6,55,470**	**31,931.46**	**1,81,541**	**3,30,795**	**16,177.93**
(घ)	**समापन स्टॉक**						
	कच्चा जूट	1,06,878	1,92,380	10,676.07	3,62,146	6,51,863	31,587.40
	जूट बीज		3485	287.66		3607	285.30
	जूट विविधीकृत उत्पाद			68.63			58.76
		1,06,878	**1,95,865**	**11,032.36**	**3,62,146**	**6,55,470**	**31,931.46**
(ङ)	**कच्चे जूट में अग्नि से हानि**	-	-		10,162	18,292	
(च)	**कच्चे जूट के वजन में हानि/वृद्धि**	(557)	(1002)		(487)	(877)	

स्टॉक की मात्राएँ विवरणों में प्रति गांठ 180 किलोग्राम के आधार पर दर्शाई गई हैं।

34. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण

(राशि लाख में)

विवरण	**31-03-2025**	**31-03-2024**
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूल राशि	49.46	177.88
(ख) उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	-
(ग) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार देरी से भुगतान पर देय ब्याज तथा लेखा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद किए गए भुगतान की राशि	-	-
(घ) देरी से भुगतान के कारण देय ब्याज, परंतु अधिनियम के अनुसार ब्याज जोड़े बिना	-	-
(ङ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में संचित एवं अप्रदत्त ब्याज की राशि	-	-
च) आगामी वर्षों में भी देय तथा भुगतान योग्य रहने वाली अतिरिक्त ब्याज राशि, जब तक कि उपर्युक्त ब्याज देयताएँ वास्तव में लघु उद्यम को अदा न कर दी जाएँ, जिससे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से इसका विचार किया जा सके।	-	-

35. अन्य पक्षों को अग्रिम अन्य पक्षों को दिए गए अग्रिम में 1.73 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है, जो उन पक्षों से प्राप्त की जानी है जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण अतिरिक्त/गलत भुगतान किया गया था। अब तक 0.20 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है और 30.09.2025 तक शेष देय राशि 1.53 लाख रुपये है।

36. निम्नलिखित अनुपातों को खातों पर टिप्पणियों के साथ संलग्न किया गया है—

(क) चालू अनुपात	(ख) ऋण-इक्विटी अनुपात	(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल	(ङ) भंडार आवर्तन अनुपात	(च) व्यापार प्राप्तियों का आवर्तन अनुपात
(छ) व्यापार देयताओं का आवर्तन अनुपात	(ज) शुद्ध कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात	(झ) शुद्ध लाभ अनुपात
(ञ) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	(ट) निवेश पर प्रतिफल	

संलग्न परिशिष्ट के अनुसार

37. राष्ट्रीय बीज निगम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खरीदे गए प्रमाणित जूट बीजों में से कुल 97.97 मीट्रिक टन बीज को अगस्त 2021 में पुनः प्रमाणीकरण के लिए भेजा गया। इसमें से 78.30 मीट्रिक टन जूट बीज का पुनः प्रमाणीकरण हो गया और शेष 19.67 मीट्रिक टन जूट बीज का पुनः प्रमाणीकरण नहीं हो सका। हालाँकि, 78.30 मीट्रिक टन पुनः प्रमाणित बीज वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बेचे नहीं जा सके, किंतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में इनमें से 0.47 मीट्रिक टन बीज की बिक्री की गई। यह मानते हुए कि इनका पुनः प्रमाणीकरण पुनः नहीं हो सकेगा और इनकी बिक्री भी संभव नहीं है, इसलिए कुल 97.50 मीट्रिक टन जूट बीज का मूल्य लेखा पुस्तकों में अवशिष्ट मूल्य के रूप में 3.90 लाख रुपये (प्रति किलोग्राम 4 रुपये) पर अंकित किया गया है।

38. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान असम स्थित नागांव क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत भुरागांव खरीद केंद्र में आग लगने की घटना हुई, जिससे कच्चे जूट के स्टॉक को 1096.29 लाख रुपये का नुकसान हुआ। क्षतिग्रस्त स्टॉक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर था। अतः पूरे नुकसान के लिए बीमा कंपनी के पास दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। दावे का निपटान अभी लंबित है।

39. प्रतिवेदन अवधि के अंत में मान्यता प्राप्त न किए गए लाभांश :

निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अपने शेयरधारक अर्थात भारत सरकार को 340.91 रुपये प्रति शेयर (पिछले वर्ष 276.70 रुपये प्रति शेयर) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है। लाभांश के रूप में कुल भुगतान 1704.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1383.50 लाख रुपये) होगा। लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन रहेगा।

40. अन्य प्रकटीकरण

40.1 कंपनी के पास कोई भी अचल संपत्ति स्वामित्व में नहीं है, सिवाय उन संपत्तियों के जहाँ कंपनी पट्टाधारी के रूप में है और जिनके पट्टा अनुबंध विधिवत रूप से पट्टाधारी के पक्ष में निष्पादित किए गए हैं।

40.2 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

40.3 कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा संबंधित पक्षों (जैसा कि कंपनियाँ अधिनियम 2013 में

परिभाषित है) को किसी भी प्रकार का ऋण या ऋण स्वरूप अग्रिम, चाहे व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, ऐसा नहीं दिया गया है जो मांग पर देय हो अथवा जिसकी वापसी की शर्तें या अवधि निर्दिष्ट न की गई हो।

40.4 निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ कोई नहीं हैं।

40.5 बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 के अंतर्गत तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के संबंध में कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

40.6 कंपनी भंडार का मूल्यांकन त्रैमासिक आधार पर अभिलिखित नहीं करती, बल्कि वर्ष के अंत में भंडार का अभिलेखन करती है। मार्च 2025 के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक भंडार विवरण लेखा अभिलेखों के साथ सार्थक रूप से मेल खाते हैं।

40.7 किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा अन्य ऋणदाता ने निगम को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया है।

40.8 कंपनियों के पंजीयक के साथ किसी भी प्रभार के पंजीकरण अथवा उसकी संतुष्टि से संबंधित ऐसा कोई मामला नहीं है जो वैधानिक अथवा निर्धारित अवधि से अधिक लंबित हो।

40.9 कंपनियाँ अधिनियम 2013 की धारा 2 के उपबंध 87 तथा कंपनियाँ परतों की संख्या पर प्रतिबंध नियम 2017 के अनुसार कंपनियों की परतों की संख्या के अनुपालन का प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होता।

40.10 कंपनियाँ अधिनियम 2013 की धारा 230 से 237 के अंतर्गत किसी भी व्यवस्था योजना के लिए किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन लंबित नहीं है।

40.11 सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार निगम द्वारा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं, को उधार लिए गए धन, अंश प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत अथवा किसी भी प्रकार के धन से कोई राशि अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में इस समझ के साथ नहीं दी गई है, चाहे वह लिखित रूप में हो या अन्यथा, कि वह मध्यस्थ सीधे अथवा परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ऋण देगा या निवेश करेगा, जिन्हें किसी भी प्रकार से निगम द्वारा या उसके behalf पर अंतिम लाभार्थी के रूप में पहचाना गया हो, अथवा उनके स्थान पर किसी प्रकार की गारंटी, सुरक्षा या समान व्यवस्था प्रदान करेगा।

सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार निगम को किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था, जिसमें विदेशी संस्था भी शामिल है, से ऐसी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में हो या अन्यथा, कि उसे सीधे अथवा परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों अथवा वित्तपोषण करने वाले पक्ष की ओर से अंतिम लाभार्थी के रूप में अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी प्रकार की गारंटी, सुरक्षा या समान व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से।

40.12 वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या प्रकट किए गए ऐसे कोई लेनदेन नहीं हैं जो लेखा अभिलेखों में दर्ज न किए गए हों।

40.13 वर्ष के दौरान कूट मुद्रा या आभासी मुद्रा में कोई व्यापारिक लेनदेन या निवेश नहीं किया गया है।

40.14 कंपनियाँ अधिनियम 2013 की धारा 248 अथवा कंपनियाँ अधिनियम 1956 की धारा 560 के अंतर्गत निरस्त की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

41. जहाँ आवश्यक हुआ है, वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्गठित तथा पुनर्व्यवस्थित किया गया है। कोष्ठकों में दर्शाए गए आँकड़े पिछले वर्ष के आँकड़ों को दर्शाते हैं।

42. कंपनियाँ अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार दी जाने वाली अन्य आवश्यक सूचनाएँ शून्य मानी जाएँ।

जे के वी एस एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318086 ई

निदेशक मंडल की ओर से

(उत्सव सराफ)
साझेदार
(सदस्यता संख्या 306932)

(अविक साहा)
कंपनी सचिव

(कौशिक रक्षित)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 11047373

(शशि भूषण सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11170563

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10 नवम्बर 2025
यूडीआईएन: 25306932बीएमएनडब्ल्यूआरएल8624

अनुपात विश्लेषण

(राशि लाख में)

	अनुपात विश्लेषण	अंश	राशि (2024-25)	राशि (2023-24)	हर	राशि (2024-25)	राशि (2023-24)	31.03.2025	31.03.2024	टिप्पणियाँ
1	**चालू अनुपात**	**चालू परिसंपत्तियाँ**			**चालू देनदारियाँ**					
		भंडार	11,032.37	31,931.46	वस्तुओं और सेवाओं के लिए लेनदार	2,103.91	3,940.17			
		विविध देनदार	1,084.11	2,952.70	नकद क्रेडिट	0.00	12,881.36			
		नकद एवं नकद समकक्ष	19,539.59	8,226.25	अल्पकालिक प्रावधान	169.76	209.74			
		ऋण एवं अग्रिम	607.62	599.61	अन्य चालू देनदारियाँ	4,227.84	5,410.62			
		अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	389.71	374.33						
			32,653.40	44,084.34		6,501.51	22,441.89	5.02	1.96	बिक्री प्राप्ति तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान नकद ऋण की अदायगी के कारण चालू अनुपात में वृद्धि हुई।
2	**ऋण-इक्विटी अनुपात**	**कुल देनदारियाँ**			**शेयरधारकों की इक्विटी**					
		कुल बाह्य देनदारियाँ:	10,596.74	26,160.49	कुल शेयरधारकों की इक्विटी	22,561.36	18,263.01	0.47	1.43	बिक्री प्राप्ति से प्राप्त नकद के कारण नकद ऋण का भुगतान कर दिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लेनदारों का भी भुगतान कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाह्य देनदारियों में कमी आई।
3	**ऋण सेवा कवरेज अनुपात**	**शुद्ध परिचालन आय**			**ऋण सेवा**					
	(इंड एएस कंपनियों के लिए ओसीआई से पूर्व लाभ)	कर के बाद शुद्ध लाभ में गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास तथा अन्य परिशोधन जोड़े जाते हैं, साथ ही ब्याज तथा अन्य समायोजन जैसे स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि भी शामिल किए जाते हैं।			वर्तमान ऋण दायित्व (ब्याज एवं पट्टा भुगतान + मूलधन की अदायगी)				लागु नही	
4	**इक्विटी पर प्रतिफल**	**अवधि का लाभ (कर के बाद)**			**औसत शेयरधारक इक्विटी**					
		करों के बाद शुद्ध लाभ – वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	5,681.85	4,611.68	(प्रारंभिक शेयरधारकों की इक्विटी + अंतिम शेयरधारकों की इक्विटी)/2	20,412.18	16,316.42	0.28	0.28	
5	**इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात**	**बेचे गए माल की लागत**			**औसत स्टॉक**					
		(प्रारंभिक स्टॉक + क्रय) – समापन स्टॉक	49,945.35	47,236.96	(ओपनिंग स्टॉक + क्लोजिंग स्टॉक)/2)	21,481.91	24,054.69	2.32	1.96	

अनुपात विश्लेषण

(राशि लाख में)

	अनुपात विश्लेषण	अंश	राशि (2024-25)	राशि (2023-24)	हर	राशि (2024-25)	राशि (2023-24)	31.03.2025	31.03.2024	टिप्पणियाँ
6	**देयकों का टर्नओवर अनुपात**	**शुद्ध बिक्री**			**औसत व्यापार देयक**					
		शुद्ध बिक्री	60,800.42	56,351.37	(प्रारंभिक व्यापार देयक + अंतिम व्यापार देयक) / 2	2,018.40	2,237.97	30.12	25.18	
7	**देनदारियों का टर्नओवर अनुपात**	**कुल खरीद**			**औसत व्यापार देनदारियाँ**					
		वार्षिक शुद्ध उधार क्रय:	27,294.12	60,595.40	(प्रारंभिक व्यापार देयताएँ + अंतिम व्यापार देयताएँ)/2	3,022.04	2,508.21	9.03	24.16	खरीद में कमी के कारण अनुपात घटा क्रय व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात में कमी के कारण यह परिवर्तन हुआ।
8.	**शुद्ध कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात**	**शुद्ध बिक्री**			**औसत कार्यशील पूंजी**					
		कुल बिक्री – बिक्री वापसी	60,800.42	56,351.37	(प्रारंभिक चालू परिसंपत्तियाँ – चालू देनदारियाँ) + (अंतिम चालू परिसंपत्तियाँ + चालू देनदारियाँ) / 2	23,897.17	19,709.45	2.54	2.86	
9	**व्यापार लाभ अनुपात**	**व्यापार लाभ**			**शुद्ध बिक्री**					
		कर पश्चात लाभ	5,681.85	4,611.68	बिक्री	60,800.42	56,351.37	0.09	0.08	
10	**नियोजित पूंजी पर प्रतिफल**	**ईबीआईटी**			**नियोजित पूंजी**					
		ब्याज और कर से पूर्व लाभ	8,294.16	7,196.23	पूंजी नियोजित = मूर्त शुद्ध संपत्ति + कुल ऋण + स्थगित कर देनदारी	33,158.10	44,423.50	0.25	0.13	बिक्री एवं EBIT में वृद्धि के कारण अनुपात बढ़ा
11	**निवेश पर प्रतिफल**	**ईबीआईटी**	8,294.16	7,196.23	**स्थिर परिसंपत्तियों में निवेश**	467.56	303.17	17.74	23.74	स्थायी परिसंपत्तियों में निवेश के कारण वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थायी परिसंपत्तियों पर प्रतिफल बढ़ा।

आंतरिक कच्चा जूट - मूल्य समर्थन

	2024-2025		2023-2024	
	गांठें	राशि लाख में	गांठें	राशि लाख में
आय				
बिक्री	5,35,474	58,527.44	5,20,048	55,446.76
वहन लागत		348.53		235.80
अब आवश्यक न रहने वाली देनदारी को वापस लिखा गया		46.41		60.99
ब्याज आय		331.00		169.84
बीमा दावा		19.07		2.92
विविध आय		16.13		15.00
प्राप्त किराया		2.23		1.02
पर्यवेक्षण शुल्क (परियोजना)		28.92		33.61
सरकारी अनुदान		3,112.50		2,800.00
आग से हानि	-		6519	
पैक्ड वजन में हानि	322		487	
समापन स्टॉक	41,317	3,979.71	2,88,811	25,089.50
कुल हानि		-		-
	5,77,113	**66,411.94**	**8,15,865**	**83,855.43**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	2,88,811	25,089.50	1,04,563	8,531.12
खरीद	2,88,302	25,913.41	7,11,302	59,745.70
कर और उपकर		249.03		568.00
भाड़ा		1,566.61		1,574.45
परिचालन व्यय		1,499.99		1,826.61
कर्मचारी व्यय		3,350.95		2,645.24
अन्य शासनिक व्यय		818.40		606.68
ब्याज एवं अन्य वित्तीय शुल्क		247.38		830.98
गोदाम किराया एवं भंडारण:		360.36		269.58
बीमा		187.25		98.73
मूल्यह्रास		37.52		27.91
जीएसटी		6.79		1.78
अनुदान/सब्सिडी समाप्त		-		-
पैक्ड वज़न में लाभ		-	495	-
शुद्ध लाभ		7,084.75		7,128.65
	5,77,113	**66,411.94**	**8,15,865**	**83,855.43**

आंतरिक कच्चा जूट – वाणिज्यिक

	2024-2025		2023-2024	
	गांठें	राशि लाख में	गांठें	राशि लाख में
आय				
बिक्री	7,539	863.79	-	-
बीमा दावे		-		-
आग से स्टॉक की हानि	-		3,643	
पैक्ड वजन में हानि	235		-	
समापन स्टॉक	65,561	6,696.37	73,335	6,497.90
	73,335	**7,560.16**	**76,978**	**6,497.90**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	73,335	6,497.90	76,978	7,277.99
खरीद	-	-	-	-
आंतरिक कच्चा जूट मूल्य समर्थन से अंतरण	-	-	-	-
कर और उपकर		-		-
भाड़ा		23.12		-
परिचालन व्यय		2.47		-
बीमा		84.99		25.57
पैक्ड वजन में लाभ	-		-	
शुद्ध लाभ		951.68		-805.66
	73,335	**7,560.16**	**76,978**	**6,497.90**

जूट बीज

	2024-2025		2023-2024	
	क्विंटल	राशि लाख में	क्विंटल	राशि लाख में
आय				
बिक्री	9,761	1,100.29	6,965	754.41
सेवा शुल्क		52.35		31.37
समापन स्टॉक	3,485	287.66	3,607	285.30
कुल हानि				
	10,572	**1,071.08**	**8,539**	**861.77**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	4,021	334.94	2,457	179.53
खरीद	6,551	700.10	6,082	657.18
जूट बीज हैंडलिंग		0.48		0.50
भाड़ा		0.17		0.22
बीमा		1.12		1.23
	13,246	**1,440.30**	**10,572**	**1,071.08**

विविधीकृत जूट उत्पाद

	2024-2025	2023-2024
	राशि लाख में	राशि लाख में
आय		
बिक्री	308.90	150.20
समापन स्टॉक	68.63	58.76
	377.53	208.96
व्यय		
खरीद	279.30	149.60
प्रारंभिक स्टॉक	58.76	33.88
भाड़ा	2.29	0.00
जेडीपी विकास एवं अन्य व्यय	13.42	17.26
कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान	10.66	
बीमा	0.82	0.23
विविध देनदार प्रावधान	50.69	
शुद्ध लाभ	-38.41	7.98
	377.53	**208.96**

JCI celebrating 150 years of
'Vande Matram' our National Song

Vigilance Awareness Week being observed at
the JCI Head Office at Patsan Bhawan

'International Women's Day' being observed at
JCI Head Office at Patsan Bhawan

Swacchata Pakhwada being observed by
employees of JCI at Patsan Bhawan

Hindi Adhikari, JCI accepting the prize for
'Active Participation in TOLIC(PSUs) Kolkata, for the F.Y. 2024-25

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

PATSAN BHAWAN, 3RD & 4TH FLOORS, CF BLOCK,
ACTION AREA-1, NEW TOWN, Kolkata – 700 156

Printed & Designed by SKG MEDIA